

Introduction to FCRA, 2010

Q.1 What is the purpose of FCRA,2010??

Ans. FCRA, 2010 has been enacted by the Parliament to consolidate the law to regulate the acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality by certain individuals or associations or companies and to prohibit acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality for any activities detrimental to national interest and for matters connected therewith or incidental thereto.

Q.2 What are the various acts/rules/guidelines which regulate the flow of foreign contribution to India?

Ans. The flow of foreign contribution to India is regulated under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 and Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 read with other notifications/orders etc., as issued there under from time to time. These are available at the website fcraonline.nic.in.

Q.3 What is the status of the FCRA, 1976 after coming into force of FCRA,2010?

Ans. It has been repealed.

Q.4 To whom is FCRA, 2010 applicable?

Ans. As per Section 1(2) of FCRA, 2010, the provisions of the act shall apply to:

- i. Whole of India
- ii. Citizens of India outside India; and
- iii. Associate Branches or subsidiaries, outside India, of companies or bodies corporate, registered or incorporated in India

Key Definitions and Concepts under FCRA, 2010

A. Foreign Contribution

Q.1 What is foreign contribution?

Ans. As defined in Section 2(1)(h) of FCRA, 2010, "foreign contribution" means the donation, delivery or transfer made by any foreign source –

- (i) of any article, not being an article given to a person* as a gift for his personal use, if the market value, in India, of such article, on the date of such gift is not more than such sum as may be specified from time to time by the Central Government by the rules made by it in this behalf.
- (ii) of any currency, whether Indian or foreign;
- (iii) of any security as defined in clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and includes any foreign security as defined in clause (o) of Section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999.

Explanation1–A donation, delivery or transfer of any article, currency or foreign security referred to in this clause by any person who has received it from any foreign source, either directly or through one or more persons, shall also be deemed to be foreign contribution within the meaning of this clause.

Explanation 2 – The interest accrued on the foreign contribution deposited in any bank referred to in sub-section (1) of Section 17 or any other income derived from the foreign contribution or interest thereon shall also be deemed to be foreign contribution within the meaning of this clause.

Explanation3—Any amount received, by any person from any foreign source in India, by way of fee (including fees charged by an educational institution in India from foreign student) or towards cost in lieu of goods or services rendered by such person in the ordinary course of his business, trade or commerce whether within India or outside India or any contribution received from an agent or a foreign source towards such fee or cost shall be excluded from the definition of foreign contribution within the meaning of this clause.

* In terms of FCRA, 2010 "person" includes –

- (i) an individual;
- (ii) a Hindu undivided family;
- (iii) an association;
- (iv) a company registered under section 25 of the Companies Act, 1956 (now Section 8 of Companies Act, 2013).

Q.2 Who can receive foreign contribution?

Ans. Any "Person" can receive foreign contribution subject to the following conditions:-

- a) It must have a definite cultural, economic, educational, religious or social programme.
- b) It must obtain the FCRA registration/prior permission from the Central Government
- c) It must not be prohibited under Section 3 of FCRA, 2010.

Q.3 Who cannot receive foreign contribution?

Ans. As defined in Section 3(1) of FCRA, 2010, the following are prohibited to receive foreign contribution:

- (a) candidate for election;
- (b) correspondent, columnist, cartoonist, editor, owner, printer or publisher of a registered newspaper;
- (c) Public Servant, Judge, **Government** servant or employee of any **corporation** or any other body controlled or owned by the Government;
- (d) member of any **legislature**;
- (e) political party or office bearer thereof;
- (f) organization of a political nature as may be specified under sub-section (1) of Section 5 by the Central Government.
- (g) association or company engaged in the production or broadcast of audio news or audio visual news or current affairs programmes through any electronic mode, or any other electronic form as defined in clause (r) of sub-section (1) of Section 2 of the Information Technology Act, 2000 or any other mode of mass communication;
- (h) correspondent or columnist, cartoonist, editor, owner of the association or company referred to in point (g).
- (i) Individuals or associations who have been prohibited from receiving foreign contribution.

Q.4 Can foreign contribution be received in rupees?

Ans. Yes. Any donation, delivery or transfer received from a 'foreign source' whether in rupees or in foreign currency is construed as 'foreign contribution' under FCRA, 2010. Such transactions including interest on foreign contribution on income derived from foreign contribution even in rupees term are considered as foreign contribution.

Q.5 Will interest or any other income earned from foreign contribution (FC) be considered foreign contribution?

Ans. Yes. It will become part of F.C. please see Explanation 2 under Question 1.

Q.6 Whether interest or any other income earned out of foreign contribution be shown as fresh foreign contribution receipt during that year or not?

Ans. No. The interest or any other income earned out of foreign contribution should be shown against Column 2(i)(b) in the annual return (Form FC-4) during the year in which it is earned. Such interest or income would be considered as F.C.

Q.7 Whether earnings from foreign client(s) by a person in lieu of goods sold or a service rendered by it is treated as foreign contribution?

Ans. No. As clarified at Explanation 3 under section 2(1)(h), foreign contribution excludes earnings from foreign client(s) by a person in lieu of goods sold or services rendered by it as this is a transaction of commercial nature/quid pro quo in the normal course of business trade etc within or outside India.

Q.8 Whether donation given by Non-Resident Indians (NRIs) is treated as 'foreign contribution'?

Ans. Contributions made by a citizen of India living in another country (i.e., Non-Resident Indian), from his personal savings, through the normal banking channels, cannot be treated as foreign contribution. However, while accepting any donations from such NRI, it is advisable to obtain his passport details to ascertain that he/she is actually an Indian citizen.

Q.9 Whether donation given by an individual of Indian origin and having foreign nationality is treated as 'foreign contribution'?

Ans. Yes. Donation from an Indian origin person who has acquired foreign citizenship is treated as foreign contribution. This will also apply to PIO / OCI cardholders. They are foreigners. However, this will not apply to 'Non-resident Indians', who still hold Indian citizenship as they are not foreigners.

Q.10 Whether foreign remittances received from a relative are to be treated as foreign contribution as per FCRA, 2010?

Ans. No. As per section 4(e) of FCRA,2010 and Rule 6 of FCRR ,2011, even the persons prohibited under section 3, i.e., persons not permitted to accept foreign contribution, are allowed to accept foreign contribution from their relatives. However, in terms of Rule 6 of FCRR, 2011, any person receiving foreign contribution **in excess of one lakh rupees or equivalent thereto in a financial year from any** of his relatives shall inform the Central Government in Form FC-1 within thirty days from the date of receipt of such contribution. This form is available on the website: fcraonline.nic.in

Q.11 Whether individuals not covered under Section 3 or a HUF can accept foreign contribution freely for the purposes listed in section 4 of FCRA,2010?

Ans. Yes. Since, subject to the provisions of Section10, even the persons specified under section 3, i.e., persons not permitted to accept foreign contribution, are allowed to receive foreign contribution for the purposes listed in section 4, it is obvious that Individuals in general and a HUF are permitted to accept foreign contribution without permission for the purposes listed in section 4. However, it should be borne in mind that the monetary limit for acceptance of foreign contribution in the form of any article given as gift to a person for his personal use has been specified as Rs. one lakh vide FCR Amendment Rules, 2019.

Q.12 Can the fee paid by the foreign delegates/participants attending/participating in a conference/seminar etc. be termed as foreign contribution and thus require permission from FCRA?

Ans. No. "Delegate/participation Fees" paid by foreign delegates/participants for

participation in a conference/seminar and which is utilized for the purpose of meeting the expenditure of hosting the conference/seminar is not treated as foreign contribution and as such no permission under FCRA is required by the recipient.

Q.13 Section 2(c)(i) of repealed FCRA, 1976 inter alia defined foreign contribution as the donation, delivery or transfer made by any foreign source of any article, not given to a person as a gift for personal use, if the market value, in India, of such article exceeds one thousand rupees. What limit has been prescribed in FCRA,2010 in respect of such articles?

Ans. The limit has been specified as Rs. One lakh through insertion of the following Rule 6A in FCRR, 2011 vide the Foreign Contribution (Regulation) (Second Amendment) Rules, 2019 [G.S.R. 659 (E) dated 16th September, 2019]:

"6A. When articles gifted for personal use do not amount to foreign contribution. - Any article gifted to a person for his personal use whose market value in India on the date of such gift does not exceed rupees one lakh shall not be a foreign contribution within the meaning of sub-clause (i) of clause (h) of sub-section (1) of section (2)."

B. Foreign Source

Q.1 What is a foreign source?

Ans. Foreign source, as defined in Section 2(1) (j) of FCRA, 2010 includes:-

- (i) the Government of any foreign country or territory and any agency of such Government;
- (ii) any international agency, not being the United Nations or any of its specialized agencies, the World Bank, International Monetary Fund or such other agency as the Central Government may, by notification, specify in this behalf;
- (iii) a foreign company;
- (iv) a corporation, not being a foreign company, incorporated in a foreign country or territory;
- (v) a multi-national corporation referred to in sub-clause (iv) of clause (g) of section 2 of FCRA,2010;
- (vi) a company within the meaning of the Companies Act, 1956, and more than one-half of the nominal value of its share capital is held, either singly or in the aggregate, by one or more of the following, namely:- a. the Government of a foreign country or territory; b. the citizens of a foreign country or territory; c. corporations incorporated in a foreign country or territory; d. trusts, societies or other associations of individuals (whether incorporated or not), formed or registered in a foreign country or territory; e. foreign company;
[provided that where the nominal value of share capital is within the limits specified for foreign investment under the Foreign Exchange Management Act, 1999, or the rules or regulations made thereunder, then, notwithstanding the nominal value of share capital of a company being more than one-half of such value at the time of making the contribution, such company shall not be a foreign source]
- (vii) a trade union in any foreign country or territory, whether or not registered in such foreign country or territory;
- (viii) a foreign trust or a foreign foundation, by whatever name called, or such trust or foundation mainly financed by a foreign country or territory;
- (ix) a society, club or other association or individuals formed or registered outside India;
- (x) a citizen of a foreign country;"

NOTE – A few bodies/ organizations of the United Nations, World Bank and some other International agencies/multi lateral organisations are exempted from this definition, and

are not treated as foreign source. Hence, the funds received from the same are not considered as foreign contribution. List of such bodies / organizations, which are not treated as 'foreign source', are available on the website fcraonline.nic.in

Q.2 Whether an Individual of Indian Origin who has acquired foreign nationality is treated as foreign source?

Ans. Yes. The contribution received from all the non- Indian Passport Holders is treated as "Foreign Source."

Q.3 What is a foreign company?

Ans. Please see section 2(1)(g) of FCRA, 2010. Foreign company means any company or association or body of individuals incorporated outside India and includes-

- a) a foreign company within the meaning of Section 379 of the Companies Act, 2013
- b) a company which is a subsidiary of a foreign company
- c) the registered office or principal place of business of a foreign company referred to in sub-clause (i) or company referred to in sub-clause(ii);
- d) a multi-national corporation
-

Q.4 What is a Multinational Corporation?

Ans. As per explanation given under clause (g) of sub-section 1 of Section 2 of FCRA, 2010 a corporation incorporated in a foreign country or territory shall be deemed to be a multi-national corporation if such corporation,-

- (a) has a subsidiary or a branch or a place of business in two or more countries or territories; or
- (b) carries on business, or otherwise operates, in two or more countries or territories;

Q.5 Whether a Company incorporated in India under the Companies Act, 2013 having its operations in 2 or more countries is to be treated as a MNC under FCRA, 2010?

Ans. No

C. Other Key Definitions and Concepts

Q.1 What is a candidate for election?

Ans. A candidate for election means a person who has been duly nominated as a candidate for election to any legislature with effect from the date of his such nomination.

Q.2 What is a registered newspaper?

Ans. "registered newspaper" means a newspaper registered under the Press and Registration of Books Act, 1867.

Q.3 What is a political party?

Ans. Please see section 2(1)(4) of FCRA, 2010. "political party" means –

- (i) an association or body of individual citizens of India -
 - A) to be registered with the Election Commission of India as a political party under section 29A of the Representation of the People Act, 1951; or
 - B) which has setup candidates for election to any Legislature, but is not so registered or deemed to be registered under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968;
- (ii) a political party mentioned in column 2 of Table 1 and Table 2 to the notification of the Election Commission of India No. 56/J&K/02, dated the 8th August, 2002, as in force for the time being;

Registration and Prior Permission

Q.1 How does a person obtain permission to accept Foreign Contribution?

Ans. There are two modes of obtaining permission to accept foreign contribution according to FCRA, 2010:

- i. Registration
- ii. Prior Permission

A. Eligibility

Q.2 What are the eligibility criteria for grant of registration?

Ans. For grant of registration under FCRA, 2010, the association should:

- (i) be registered under an existing statute like the Societies Registration Act, 1860 or the Indian Trusts Act, 1882 or section 25 of the Companies Act, 1956 (Now Section 8 of Companies Act, 2013) etc;
- (ii) Normally be in existence for at least three years and has undertaken reasonable activity in its chosen field for the benefit of the society for which the foreign contribution is proposed to be utilised. The applicant NGO/association will be free to choose its items of expenditure (excluding the administrative expenditure as defined in Rule 5 of FCRR, 2011) to become eligible for the minimum threshold of Rs. 15.00 lac spent during the last three years. If the association wants inclusion of its capital investment in assets like land, building, other permanent structures, vehicles, equipments etc, then the Chief Functionary shall have to give an undertaking that these assets shall be utilized only for the FCRA activities and they will not be diverted for any other purpose till FCRA registration of the NGO holds.

Q.3 What are the eligibility criteria for grant of prior permission?

Ans. An organization in formative stage is not eligible for certificate of registration. Such organization may apply for grant of prior permission under FCRA, 2010.

Prior permission is granted for receipt of a specific amount from specific donor/donors for carrying out specific activities/projects. For this purpose, the association should meet following criteria:

- (i) be registered under an existing statute like the Societies Registration Act, 1860 or the Indian Trusts Act, 1882 or section 25 of the Companies Act, 1956 etc;
- (ii) submit a specific commitment letter from the donor indicating the amount of foreign contribution and the purpose for which it is proposed to be given; and
- (iii) For Indian recipient organizations and foreign donor organizations having common members, FCRA Prior Permission shall be granted to the Indian recipient organizations subject to its satisfying the following:
 - i) The Chief Functionary of the recipient Indian organization should not be a part of the donor organization.
 - ii) At least 75% of the office-bearers/ members of the Governing body of the Indian recipient organization should not be members/employees of the foreign donor organization.
 - iii) In case of foreign donor organization being a single person/individual that person should not be the Chief Functionary or office bearer of the recipient Indian organization.
 - iv) In case of a single foreign donor, at least 75% office bearers/members of the governing body of the recipient organization should not be the family members and close relatives of the donor.

Q.4 What are the conditions to be met for the grant of registration and prior permission?

Ans. In terms of Sec.12 (4) of FCRA, 2010, the following shall be the conditions for the grant of registration and prior permission:

(a) The 'person' making an application for registration or grant of prior permission-

- i. is not fictitious or benami;
- ii. has not been prosecuted or convicted for indulging in activities aimed at conversion through inducement or force, either directly or indirectly, from one religious faith to another;
- iii. has not been prosecuted or convicted for creating communal tension or disharmony in any specified district or any other part of the country;
- iv. has not been found guilty of diversion or mis-utilisation of its funds;
- v. is not engaged or likely to engage in propagation of sedition or advocate violent methods to achieve its ends;
- vi. is not likely to use the foreign contribution for personal gains or divert it for undesirable purposes;
- vii. has not contravened any of the provisions of this Act;
- viii. has not been prohibited from accepting foreign contribution;
- ix. the person being an individual, such individual has neither been convicted under any law for the time being in force nor any prosecution for any offence is pending against him.
- x. the person being other than an individual, any of its directors or office bearers has neither been convicted under any law for the time being in force nor any prosecution for any offence is pending against him.

(b) the acceptance of foreign contribution by the association/ person is not likely to affect prejudicially-

- i. the sovereignty and integrity of India;
- ii. the security, strategic, scientific or economic interest of the State;
- iii. the public interest;
- iv. freedom or fairness of election to any Legislature;
- v. friendly relation with any foreign State;
- vi. harmony between religious, racial, social, linguistic, regional groups, castes or communities.

(c) the acceptance of foreign contribution-

- i. shall not lead to incitement of an offence;
- ii. shall not endanger the life or physical safety of any person.

Q.5 Can a private limited company or a partnership firm get registration or prior permission under FCRA, 2010?

Ans. Yes, a private limited company too may seek prior permission/registration for receiving foreign funds in case they wish to do some work useful/beneficial to society.

Q. 6 Whether an individual or a Hindu Undivided Family (HUF) can be given registration or prior permission to accept foreign contribution in terms of section 11 of FCRA, 2010?

Ans. Yes. The definition of the 'person' under section 2(1)(m) in the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 includes any individual and a 'Hindu Undivided Family' among others. As such an Individual or an HUF is also eligible to apply for certificate of registration or prior permission to accept foreign contribution.

Q.7 Whether organisations under Central/State Governments are required to obtain registration or prior permission under FCRA, 2010 for accepting foreign contribution?

Ans. Yes. However all organizations (not being a political party), constituted or established by or under a Central Act or a State Act or by any administrative or executive order of the Central Government or any State Government and wholly owned by the respective Government and required to have their accounts compulsorily audited by the Comptroller and Auditor General of India (CAG) or any of the agencies of the CAG, are exempted from the operation of all the provisions of FCRA, 2010.

B. Executive Committee

Q.8 Whether foreigners can be appointed as Executive Committee members of an association seeking registration or prior permission?

Ans. Organizations having foreign nationals, other than of Indian origin, as members of their executive committees or governing bodies are generally **NOT** permitted to receive foreign contribution. However, foreigners may be allowed to be associated with such associations in an ex-officio capacity, if they are representing multilateral bodies, foreign contribution from whom is exempted from the purview of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, or in a purely honorary capacity depending upon the person's stature in his/her field of activity.

Relaxation may be considered on case to case basis by an authority higher than the competent authority, if any of the following grounds is met:

- i. the foreigner is married to an Indian citizen;
- ii. the foreigner has been living and working in India for at least five years;
- iii. the foreigner has made available his/her specialized knowledge, especially in the medical and health related fields on a voluntary basis in India, in the past;
- iv. the foreigner is a part of the Board of Trustees/Executive Committee in terms of the provisions in an inter-governmental agreement;
- v. the foreigner is part of the Board of Trustees/Executive Committee, in an ex-officio capacity representing a multilateral body which is exempted from the definition of foreign source.

Q.9 Whether Government servants, Judges and employees of a Government owned/controlled company/body can be on the executive committees/boards of an association?

Ans. Yes. The legal entity of a 'person' under FCRA, 2010 is distinct from an individual person. Therefore, individuals who cannot receive foreign contribution may happen to be on the executive committees/boards of such an association.

Q.10 Whether the registration certificate or prior permission granted under the repealed FCRA, 1976 shall remain valid when FCRA, 2010 has come into force?

Ans. Yes. An association granted prior permission or registration under the repealed FCRA, 1976 shall be deemed to have been registered or granted prior permission, as the case may be, under FCRA, 2010. Registration granted under FCRA, 1976 remained valid for a period of 5 years from the 1st May, 2011, i.e., up to the 30th April, 2016 & if it was renewed, then for a further period of five years.

Q. 11 Whether prior permission granted under FCRA, 1976 would also remain valid for next 5 years from the 1st May, 2011, i.e., the date when FCRA, 2010 came into force?

Ans. No. Prior permission granted under FCRA, 1976 remains valid under FCRA, 2010 till receipt and full utilisation of the amount of FC for which the permission was granted.

D. How to apply

Q.1 How to submit application for grant of registration/prior permission?

Ans. Application for grant of registration or prior permission is to be submitted online in form FC-3 (A) or FC-3 (B) at the website- fcraonline.nic.in

Q.2 If an application for registration or prior permission is submitted online by an association, does it need to submit that application in physical format so?

Ans. No. All requisite documents are to be uploaded with the application online only and no physical copies shall be accepted by MHA under any circumstances. All physical documents, even if received, shall be returned to sender immediately.

E. Filing of online form

Q.3 How to fill online form for filing application for grant of registration / prior permission?

Ans. The online application form FC-3 (A) for registration / FC-3 (B) prior permission has been designed in an easy to fill format. The applicant will find instructions on each web page of online form while filling the application.

Q.4 How to rectify an error in the application for registration or PP that has already been submitted online?

Ans. No rectification of error is allowed after the application has been finally submitted online. In case of error, please Contact Support Centre/ Help Desk of the FCRA.

D. Required documents

Q.1 Are Aadhar Number and Darpan ID mandatory for all members and NGOs respectively?

Ans. For all FCRA services provided through online portal, Aadhar Number & Darpan ID are mandatory now.

Q.2 What are the documents to be uploaded with the application for grant of registration?

Ans. The applicant should be ready with the scanned copies of the following documents before filing the application online:

(A) Registration

- (i) jpg file of signature of the chief functionary (size:50kb)
- (ii) self-certified copy of registration certificate/Trust deed etc., of the association (size:1mb)
- (iii) self-certified copy of relevant pages of Memorandum of Association/ Article of Association showing aim and objects of the association. (size:5mb)
- (iv) Activity Report indicating details of activities during the last three years;(size:3mb)
- (v) Copies of relevant audited statement of accounts for the past three years (Assets and Liabilities, Receipt and Payment, Income and Expenditure) clearly reflecting expenditure incurred on aims and objects of the association and on administrative expenditure; (size:5mb)
- (vi) Fee of **Rs. 10,000/-** is to be paid online through payment gateway

(B) Prior Permission

- (i) jpg file of signature of the chief functionary(size:50kb)
- (ii) self-certified copy of registration certificate/Trust deed etc., of the association (size:1mb)
- (iii) duly signed Commitment Letter from Donor. (size:5mb)
- (iv) If functioning as editor, owner, printer or publisher of a publication registered under the Press and Registration of Books Act, 1867, a certificate from the Registrar of Newspapers for India that the publication is not a newspaper in terms of section 1(1) of the said Act.
- (v) Fee of Rs. 5000/- is to be paid online through payment gateway.
- (vi) Project Report for which FC will be received. (size:3mb)

Q.3 What all pages of MoA are to be uploaded in the online form FC-3?

Ans. A Memorandum of Association (MOA) is a legal document prepared in the formation and registration process of a limited liability company to define its relationship with shareholders. The MOA is accessible to the public and describes the company's name, physical address of registered office, names of shareholders and the distribution of shares. The MOA and the Articles of Association serve as the constitution of the company.

Q.4 What is the form of Audited Statements which are to be uploaded with the FC-3 Form?

Ans. An Audited statement of accounts for the past three years (Assets and Liabilities, Receipt and Payment, Income and Expenditure) clearly reflecting expenditure incurred on aims and objects of the association and on administration, duly signed by the chartered Accountant with his membership number.

Q.5 What are the limits of File sizes for uploading?

Ans. The applicant will find instructions attached regarding the uploading limit of File size on web page of online form while filing the application.

Q.6 Is recommendation of District Collector or Deputy Commissioner or District Magistrate mandatory for submission of an application for registration or prior permission?

Ans. No Submission of verification certificate from the District Collector or Deputy Commissioner or District Magistrate is not required.

(d) Payment of fee

Q.1 What is the amount of fee for grant of registration and prior permission and renewal?

Ans. For registration the association is required to pay a fee of Rs. 10,000/- and for prior permission, the fee is Rs. 5,000/- and for renewal, the fee is Rs 5000/- only.

Q.2 How to make payment of fee. Can the fee be paid through Bank draft/cheque etc.

Ans. The fee is to be paid while filling online form through payment gateway. No Bank draft/cheque is accepted.

Q.3 Is recommendation of District Collector or Deputy Commissioner or District Magistrate mandatory for submission of an application for registration or prior permission?

Ans. No. Submission of verification certificate from the District Collector or Deputy Commissioner or District Magistrate is not required.

(e) Status of Online Form

Q.1 How to find the status of pending application for registration/prior permission/renewal?

Ans. Status of pending applications for grant of registration/prior permission/renewal may be checked on-line at fcra online services using user ID and password created at the time of filing application.

Acceptance and Utilization of Foreign Contribution

A. Acceptance

Q.1 From whom an association registered/granted prior permission under FCRA, 2010 can accept the foreign contribution?

Ans- Associations registered or granted prior permission under FCRA,2010 should ensure that they received foreign contribution only from a legitimate foreign source and for activities as prescribed under the Act.

Q.2 Is it mandatory for existing NGOs also to open 'FCRA account' in SBI, Sansad marg, Main branch, New Delhi & How?

Ans- FCRA registered NGO shall have to open 'FCRA account' in SBI, Sansad marg, Main branch, New Delhi for receipt of foreign contribution. Organisations located anywhere in India can open and maintain designated FCRA account at SBI, Main branch, New Delhi without visiting physically to New Delhi. In this regard, a detailed SOP of State Bank of India is available in public domain on the portal of SBI & FCRA.

Q.3 Can existing bank account other than SBI receive foreign contribution?

Ans. As per amendment under FCRA, 2010, no organization shall receive foreign contribution in any other bank/ branch account other than SBI, Main branch, New Delhi.

Q.4 Are there any banned organizations from whom foreign contribution should not be accepted?

Yes. FCRA is meant to ensure that foreign contribution is received from legitimate sources and utilised for legitimate purposes by any person.

Q.5 Whether the amount of foreign contribution for which prior permission has been granted can be received by an association in installments?

Ans. Yes. There is no bar on receiving such foreign contribution in installments. However, the aggregate amount should not exceed the specified total amount for which prior permission has been granted.

The association shall have to submit the mandatory online return in FC-4 form for receipt and utilization of the foreign contribution on a yearly basis, till the amount of foreign contribution is fully utilized. Even if no transaction takes place during a year, a NIL return should be submitted.

A. Administrative Expenses

Q.6 What are the administrative expenses as per FCRA,2010?

Ans. Rule 5 of FCRR, 2011 defines that administrative expenses include the following :

- (i) Salaries, wages, travel expenses or any remuneration realised by the Members of the Executive Committee or Governing Council of the person;
- (ii) all expenses towards hiring of personnel for management of the activities of the person and salaries, wages or any kind of remuneration paid, including cost of travel, to such personnel;
- (iii) all expenses related to consumables like electricity and water charges, telephone charges, postal charges, repairs to premise(s) from where the organisation or Association is functioning, stationery and printing charges, transport and travel charges by the Members of the Executive Committee or Governing Council and expenditure on office equipment;
- (iv) cost of accounting for and administering funds;
- (v) expenses towards running and maintenance of vehicles;
- (vi) cost of writing and filing reports;
- (vii) legal and professional charges; and
- (viii) rent of premises, repairs to premises and expenses on other utilities;

Provided that the expenditure incurred on salaries or remuneration of personnel engaged in training or for collection or analysis of field data of an association primarily engaged in research or training shall not be counted towards administrative expenses:

Provided further that the expenses incurred directly in furtherance of the stated objectives of the welfare-oriented organization shall be excluded from the administrative expenses such as salaries to doctors of hospital, salaries to teachers of school etc.

B. Utilisation of funds

Q.7 Can foreign contributions be invested in Mutual Funds or other speculative investments?

Ans. No. Speculative activities have been defined in Rule 4 of FCRR, 2011 as under:-

- (a) any activity or investment that has an element of risk of appreciation or depreciation of the original investment, linked to market forces, including investment in mutual funds or in shares;
- (b) participation in any scheme that promises high returns like investment in chits or land or similar assets not directly linked to the declared aims and objectives of the organization or association.

Every association shall maintain a separate register of investments. Every such register of investments maintained under sub-rule (3) shall be submitted for audit.

Q.8 Can capital assets purchased with the help of foreign contributions be acquired in the name of the office bearers of the association??

Ans. No. Every asset purchased with foreign contribution should be acquired and possessed in the name of the association since an association has a separate legal entity distinct from its members.

Q.9 Can an association invest the foreign contribution received by it in profitable ventures and proceeds can be utilized for welfare activities?

Ans. No. The associations are granted registration/Prior Permission under the FCRA Act 2010 for receiving FC for certain purpose/objectives. Accordingly FC should be utilized for the purpose only for which it is granted registration or prior permission.

Q.10 Can foreign contribution be received in and utilised from multiple Bank Accounts?

Ans. The foreign contribution should be received only in the exclusive single “FCRA account” of New Delhi Main Branch of SBI (also called designated FC account), as mentioned in the order for registration or prior permission granted and shall be independently maintained by the associations. Besides, this “FCRA Account”, the association may also open “another FCRA Account” in any scheduled bank of its choice & link these accounts for transfer of foreign contribution. Also, one or more accounts (called Utilization Account) in one or more scheduled banks may be opened by the association for ‘utilising’ the foreign contribution after it has been received in the designated FCRA bank account, provided that no fund other than foreign contribution shall be received or deposited in such account or accounts and in all cases of any change, intimation in FC-6D is to be given online within 15 days of opening of such account.

Q.11 Can an association transfer foreign contribution from one utilization account to another utilization account?

Ans. Under the amended FCRA, 2010, no foreign contribution can be transferred by the recipient to any other NGO/person.

Transfer of Foreign Contribution

Q.1 Can an association having registration or prior permission transfer the FC received by it to another organization? If yes, then what is the process to do so? Is there any restriction on transfer of funds to other organisations?

Ans. Under the amended FCRA, 2010, no foreign contribution can be transferred by the recipient to any other NGO/person.

Maintenance of Accounts

Q.1 Can foreign contribution be mixed with local receipts?

Ans. No. Accounts and records relating to receiving and utilization of foreign contribution are to be maintained exclusively/ separately.

Filing of Annual Returns

Q.1 Is online submission of annual returns mandatory?

Ans. Yes, Annual returns are to be filed online at fcraonlineservice.nic.in. No hard copy of the returns shall be accepted in FCRA Wing of Ministry of Home Affairs.

Q.2 What is the last date for online filing of returns?

Ans. There turn is to be filed online for every financial year (1st April to 3rd March) within a period of nine months from the closure of the year i.e. by 31st December each year.

Q.3 What is the procedure for filing Annual Returns?

Ans. The Annual return is to be submitted online at fcraonline.nic.in in prescribed Form FC-4, duly accompanied by balance sheet and statement of receipt and payment, which is certified by a Chartered Accountant. Submission of a ‘NIL’ return, even if there is no receipt/utilization of foreign contribution during the year, is also mandatory. However, in

such case, certificate from Chartered Accountant, audited statement of accounts is not required to be uploaded.

Annual Return are to be filed online at fcraonline.nic.in

For further details, please refer to Rule 17 of the foreign contribution (Regulation) Rules, 2011 (FCRR, 2011)

Q.4 For how many years an association which has been granted prior permission to receive foreign contribution should file the mandatory annual return?

Ans. The association should fill the mandatory annual return on a yearly basis, till the amount of foreign contribution is fully utilized. Even if no transaction takes place during a year, a NIL return should be submitted.

Q.5 What are the consequences of not filling the annual returns on time?

Ans. An association not filing annual return on time may face the following consequences:

- (1) Imposition of penalty for late submission of return.
- (2) Cancellation of registration
- (3) Prosecution for violation of provisions of FCRA, 2010.

Banks and Banking related issues

Q.1 Are there any specified banks for the purpose of FCRA2010?

Ans. The "FCRA Account" under Section 17(1) of the Act can be opened only in the New Delhi Main Branch of SBI. "Another FCRA Account" and utilization account/accounts can be opened in any scheduled bank., It should be a PFMS integrated Bank. List of banks integrated with PFMS is available at https://fcraonline.nic.in/fc_bank_list.aspx

Q.2 Whether an association needs to open an exclusive FC A/c before submission of an application for registration or prior permission?

Ans. Yes. Since the FC A/c through which foreign contribution is proposed to be received and utilised is to be mentioned in the application seeking registration or prior permission, as the case may be, the association has to open such an exclusive "FCRA Account" in the New Delhi Main Branch of SBI. This A/c number would be mentioned in the letter granting registration or prior permission to the association.

Q.3 Whether Banks should allow an association which is applying for registration or prior permission under FCRA, 2010 to open an FC A/c with INR?

Ans. Yes. However, New Delhi Main Branch of SBI shall not allow any foreign inward remittance in that A/c till such time the association is granted registration or prior permission, as the case may be.

Q.4 Should the Banks report transactions pertaining to foreign contributions which are returned to the remitter by the beneficiary Association for want of registration/prior permission from MHA?

Ans. It is not necessary for the bank to report such foreign contribution that is returned to the donor without crediting in the account of the recipient.

Q.5 Minimum Balance requirements in FC Accounts?

Ans. There is no such requirement under FCRA, 2010.

Change in Name, Address, Objectives, FC Account details etc.

Q.1 What is the procedure for seeking change in the name and aims and objects of an association registered under FCRA?

Ans. For seeking change in the name/address of the association, intimation is to be given online in Form **FC-6A** within 15 days and self certified copy of amendment approved by local/relevant authority is to be uploaded and similarly, for aims and objects form FC-6B is available online.

Q.2 What is the procedure for change of utilisation Bank Account?

Ans. For change of the utilization account, an intimation is to be given online in Form **FC-6 D** within 15 days of such change with uploading of certificates from the concerned banks regarding the change.

Q.3 Whether intimation regarding the change of Members of the Executive Committee/Governing Council of the association is to be given to the Government?

Ans. Yes. If at any point of time, such change causes replacement of original Members of the Executive Committee/Governing Council of the association, intimation is to be given online in Form **FC-6 E** to MHA within 15 days of such change.

Renewal of registration.

Q.1 Whether the certificate of registration is to be renewed?

Ans Yes, As per Section 16 of FCRA, 2010 every person who has been granted a certificate of registration under Section 12 thereof shall have such certificate renewed within six months of the expiry of the period of the certificate.

Q.2 What is the process for renewal of registration?

Ans. Associations which desire to renew their registration certificate shall apply online only in Form FC-3C within 6 months of the expiry of their existing registration certificate. After successful payment of fees only, the application is deemed to have been completed.

Q.3 When should an Association which has been granted registration under FCRA 2010 apply for renewal of registration?

Ans. In terms of Rule 12 (2) of FCRR, 2011, an Association registered under FCRA should apply in Form FC-3C for renewal of its registration six months before the date of expiry of the certificate of registration.

Q.4 What are the requirements by the applicant for renewal of registration?

Ans. Darpan id, signature of Chief Functionary, seal of the association, registration certificate of the association, Memorandum of Association/ Trust Deed, FCRA Registration Certificate of association issued by MHA are to be uploaded for renewal of registration.

Q.5 What happens if the association does not apply for renewal of registration?

Ans. The existing registration under FCRA, 2010, will cease from the date of completion of the period of five years from the date of grant of registration and will not be eligible for receipt & utilization of foreign contribution. **In such a case, the association has to apply afresh for grant of registration.**

Q.6 What are Statutory Compliances before seeking renewal of registration.

Ans. The person/associations must have filed all previous ARs, Darpan ID and designated "FCRA Account" in SBI, Main Branch New Delhi. Filing of AR is mandatory for even 'NIL' FC receipt.

Offences and Penalties and Compounding of certain offences.

Q. 1 What are the offences and penalties under FCRA, 2010?

Ans. Under section 41, the government has issued a gazette notification dated **5.06.2018** and **27.07.2018**, which is highlighted as below:

TABLE

Sr. No.	Offence	Amount of Penalty
(1)	(2)	(3)
1,	Offence punishable under section 35 for accepting any hospitality in contravention of section 6 of the Act.	Rs. 10,000/-
2.	Offence punishable under section 37 for transferring any foreign contribution to any other person in contravention of section 7 of the Act or any rule made thereunder.	Rs. 1, 00,000/- or 10% of such transferred foreign contribution, whichever is higher.
3.	Offence punishable under section 37 for defraying of foreign beyond fifty per cent of the contribution received for administrative expenses in contravention of section 8 of the Act.	Rs. 1, 00,000/- or 5% of such foreign contribution so defrayed beyond the permissible limit, whichever is higher.
4.	Offence punishable under section 35 for accepting foreign contribution in contravention of section 11 of the Act.	Rs. 1, 00,000/- or 10% of the foreign contribution, received, whichever is higher;

5.	Offences punishable under section 37 read with section 17 of the Act for -	Rs. 1, 00,000/- or 5% of the foreign contribution received in such account, whichever is higher;
	(a) receiving foreign contribution in account in his application for grant of certificate;	
	(b) non-reporting the prescribed or source and manner of such remittance by banks and authorised persons.	
	(c) receiving & depositing any fund other than foreign contribution in the account or accounts opened for receiving foreign contribution or for utilizing the foreign contribution.	Rs. 1, 00,000/- or 2% of such deposit, whichever is higher;
6.	Offence punishable under section 37 for non-furnishing of intimation of the amount of each foreign contribution received and the source from which and in the manner in which, such foreign contribution is received as required under section 18 of the Act.	Rs. 1, 00,000/- or 5% of the foreign contribution received during the period of non submission, whichever is higher.
7.	Offence punishable under section 37 for not maintaining the account and records of foreign contribution received and manner of its utilization on required section 19 of the Act.	Rs. 1, 00,000/- or 5% of the foreign contribution during the relevant period of non maintenance of accounts, whichever is higher.

“The amount of penalty computed under column (3) of the Table in respect of any offence or offences referred to in column (2) thereof shall not be more than the value of the foreign contribution involved.”

Q. 2 How to apply for compounding of an offence under FCRA, 2010?

Ans: An application for the compounding of an offence under section 41 of FCRA, 2010 is to be made to the Secretary, Ministry of Home Affairs, New Delhi on a plain paper along with a fee of Rs.3000/- (Three Thousand only) in the form of a demand draft or a banker's cheque in favour of the "Pay and Accounts Officer, Ministry of Home Affairs", payable at New Delhi.

Q.3 What if the person is unwilling or unable to pay the penalty imposed?

Ans: In the event of failure to pay the penalty, for whatever reason, necessary action for prosecution of the person shall be initiated.

Q.4 Which are the investigating agencies for investigating and prosecuting a person for violation of FCRA?

Ans. The Central Bureau of Investigation or the investigating agencies (Crime Branch) of the State Governments, cause of action of which arises in the irrespective States, are the designated agencies for investigating and prosecuting a person for violation of FCRA.

Suspension, Cancellation and Surrender of Registration.

A.

Q. 1 Can the Government cancel the certificate of registration granted to a person under FCRA?

Ans. Yes. Central Government may cancel the certificate as per the provisions of section 14 of the FCRA, 2010.

NOTE – Any person whose certificate has been cancelled under this section shall not be eligible for registration or grant of prior permission for a period of three years from the date of cancellation of such certificate.

Q.2 Can the Government suspend the certificate of registration granted to person under FCRA?

Ans. Yes. Central Government may suspend the certificate as per the provisions of section 13 of the FCRA, 2010 for a period not exceeding one hundred and eighty days and another additional one hundred and eighty days.

Q.3 What are the consequences of suspension of the registration certificate granted to a person under FCRA?

Ans. A person whose FCRA registration certificate has been suspended shall:-

- (a) not receive any foreign contribution during the period of suspension of certificate; provided that the central government specifically approves it on a case by case basis
- (b) not utilize the unutilized FC in his custody without the prior approval of the Central Government. Even in this case, only upto twenty-five percent of the unutilized amount may be spent, with the prior approval of the Central Government, for the declared aims and objects for which the foreign contribution was received. The remaining seventy- five percent of the unutilized foreign contribution shall be utilized only after revocation of suspension of the certificate of registration.

B.

Q.1 How can any person surrender the Certificate granted?

Ans. Any organization who wants to forgo/ foreclose its FCRA registration due to its own reasons may surrender the certificate by uploading the application FC-7 on our web portal.

Q.2 What will be ultimate status of assets created by foreign contribution and unutilized amount lying in bank account in the event of surrender/ cancellation/ ceasing of certificate?

Ans. In the event of any person who was permitted to accept foreign contribution, ceases to exist/ cancelled/ wishes to surrender, all the physical assets and unutilized foreign contribution in bank of such person shall be disposed off in accordance with the law.

Foreign Hospitality

Q.1 What is foreign hospitality?

Ans. Foreign Hospitality means any offer, not being a purely casual one, made in cash or kind by a foreign source for providing a person with the costs of travel to any foreign country or territory or with free board, lodging, transport or medical treatment.

Q.2 Who requires prior approval from Ministry of Home Affairs before accepting Foreign Hospitality?

Ans. The following categories of persons require prior approval from Ministry of Home Affairs before accepting Foreign Hospitality:-

- a) Members of a Legislature
- b) office bearers of political parties
- c) Judges
- d) Government servants, Public Servants
- e) Employees of any corporation or any other body owned or controlled by the Government.

Provided that it shall not be necessary to obtain any such permission for an emergent medical aide needed on account of sudden illness contracted during a visit outside India. But, where such foreign hospitality has been received, the person receiving such hospitality shall give an intimation to the Central Government as to the receipt of such hospitality within one month from the date of receipt of such hospitality, and the source from which, and the manner in which, such hospitality was received.

Q.3 Whether approval of the Ministry of Home Affairs is required in cases where the proposed foreign visit is being undertaken by a person in his/her personal capacity and the entire expenditure thereon is being met by the person concerned?

Ans. No.

Q.4 How one can seek permission of the Government for receiving foreign hospitality?

Ans. The applicant should submit application in Form FC-2 online.

Q.5 What documents are to be uploaded with FC-2 form for seeking prior permission for Foreign Hospitality?

Ans. Following documents are to be uploaded with FC-2 form (as mentioned under Rule 7 of FCRR, 2011) :-

- (i) Signature of the applicant (maximum 50 KB allowed in JPG/ JPEG format)
- (ii) An invitation letter from the host or the host country, as the case may be (maximum 1 MB allowed in PDF format)
- (iii) administrative clearance of the Ministry or department concerned in case of visits sponsored by a Ministry or department of the Government (maximum 1 MB allowed in PDF format).

Q.6 When should the application for filing the FC-2 form be filled?

Ans. The application for grant of permission to accept foreign hospitality should be filed online ordinarily two weeks before the proposed date of onward journey.

In case of emergent medical aid needed on account of sudden illness during a visit abroad, the acceptance of foreign hospitality shall be required to be intimated to the Central Government within sixty days of such receipt giving full details including the source, approximate value in Indian Rupees, and the purpose for which and the manner in which it was utilized.

Provided that no such intimation is required if the value of such hospitality in emergent

<https://fcraonline.nic.in>

medical aid is up to one lakh rupees or equivalent thereto.

एफसीआरए, 2010 की प्रस्तावना

प्रश्न.1 एफसीआरए,2010 का उद्देश्य क्या है?

उत्तर:संसद द्वारा एफसीआरए, 2010 को कुछ व्यक्तियों या एसोसिएशनों या कंपनियों द्वारा विदेशी अभिदायया विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने और उपयोग करने को विनियमित करने के लिए विधि को मजबूत करने और राष्ट्रीय हितों या उससे संबंधित या जुड़े मामलों के लिए हानिकारक किन्हीं गतिविधियों के लिए विदेशी अभिदायया विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने और उपयोग करने को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया है।

प्रश्न.2 भारत में विदेशी अभिदाय का विनियमन करने वाले विभिन्न अधिनियम/नियम/दिशानिर्देश क्या हैं?

उत्तर:भारत में विदेशी अभिदायके प्रवाह का विनियमन विदेशी अभिदाय(विनियमन) अधिनियम, 2010 और विदेशी अभिदाय(विनियमन) नियम, 2011 के अधीन समय-समय पर जारी अन्य अधिसूचनाओं/आदेशों आदि के साथ पठित विदेशी अभिदाय(विनियमन) अधिनियम, 2010 और विदेशी अभिदाय(विनियमन) नियम, 2011 के अंतर्गत होता है। ये वेबसाइट fcraonline.nic.in पर उपलब्ध हैं।

प्रश्न.3 एफसीआरए,2010 के लागू हो जाने के बाद एफसीआरए, 1976 की स्थिति क्या है?

उत्तर:यह निरसित हो गया है।

प्रश्न.4 एफसीआरए, 2010 किन पर लागू होता है?

उत्तर:एफसीआरए, 2010 की धारा 1(2) के अनुसार, अधिनियम के प्रावधान इन पर लागू होंगे:

- पूरा भारत
- भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक; तथा
- भारत में पंजीकृत या निगमित, कंपनियों या निकायों की भारत केबाहर स्थित शाखाएँ या अनुषंगियां

एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत प्रमुख परिभाषाएं और संकल्पनाएं

A. विदेशी अभिदाय

प्रश्न.1 विदेशी अभिदाय क्या है?

उत्तर:एफसीआरए, 2010 की धारा 2 (1)(ज) में दी गयी परिभाषा के अनुसार, "विदेशी अभिदाय" से किसी विदेशी स्रोत से निम्नलिखित का दान, सुपुर्दगी या अंतरण अभिप्रेत है-

- कोई सामान, जो किसी व्यक्ति* के निजी उपयोग के लिए उपहार के रूप में दिया गया सामान नहीं है, यदि भारत में उस सामान का बाजार मूल्य, ऐसे उपहार की तारीख को, केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए समय-समय पर बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट ऐसी राशि से अधिक नहीं है।
- कोई मुद्रा, भारतीय या विदेशी;
- इसमें प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में यथा परिभाषित कोई प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ण) में परिभाषित कोई विदेशी प्रतिभूति शामिल है।

स्पष्टीकरण 1- किसी व्यक्ति द्वारा इस खंड में संदर्भित किसी सामान, मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति का दान, सुपुर्दगी या अंतरण, जिसने उसे किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त किया है, प्रत्यक्षतः अथवा एक या एक से अधिक व्यक्तियों के माध्यम से, इस खंड के अर्थ के भीतर विदेशी अभिदायमाना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2 - धारा 17 की उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी बैंक में जमा विदेशी अभिदायपर उपार्जित ब्याज या विदेशी अभिदायसे प्राप्त कोई अन्य आय या उसपर ब्याज को भी इस खंड के अर्थ के भीतर

विदेशी अभिदायमाना जाएगा।

स्पष्टीकरण 3 - भारत में किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क के माध्यम से, किसी विदेशी स्रोत से, प्राप्त की गई राशि(भारत में किसी शैक्षिक संस्थान द्वारा विदेशी छात्र से वसूले गए शुल्क सहित) अथवा भारत में या भारत के बाहर अपने व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य के सामान्य क्रम में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं या सेवाओं के बदले लागत के रूप में प्राप्त राशि या किसी एजेंट या किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त कोई अभिदाय को, इस खंड के अर्थ के भीतर विदेशी अभिदायकी परिभाषा से बाहर रखा जाएगा।

* एफसीआरए, 2010 के संदर्भ में "व्यक्ति" में निम्नलिखित शामिल हैं -

- (i) एकल व्यक्ति;
- (ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब;
- (iii) कोई एसोसिएशन ;
- (iv) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत पंजीकृत कंपनी।

प्रश्न.2 विदेशी अभिदाय कौन प्राप्त कर सकता है?

उत्तर:कोई "व्यक्ति" निम्नलिखित शर्तों के अधीन विदेशी अभिदायप्राप्त कर सकता है: -

- क) इसका एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम हो।
- ख) यह केंद्र सरकार से एफसीआरए पंजीकरण/पूर्व अनुमति प्राप्त करे।
- ग) यह एफसीआरए, 2010 की धारा 3 के तहत प्रतिबंधित नहीं हो।

प्रश्न.3 कौनविदेशी अभिदाय प्राप्त नहीं कर सकता है?

उत्तर:जैसा कि एफसीआरए, 2010 की धारा 3 (1) में परिभाषित किया गया है, निम्नलिखित विदेशी अभिदाय प्राप्त नहीं कर सकते:

- (क) निर्वाचन के लिए उम्मीदवार;
- (ख) किसी पंजीकृत समाचार पत्र के संवाददाता, स्तंभकार, कार्टूनिस्ट, संपादक, स्वामी, प्रिंटर या प्रकाशक;
- (ग) लोक सेवक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी या सरकार द्वारा नियंत्रित या उसके स्वामित्व वाले किसी निगम या किसी अन्य निकाय का कोई कर्मचारी;
- (घ) किसी विधायिका का सदस्य;
- (ङ) राजनीतिक दल या उसके पदाधिकारी;
- (च) केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 5 की उपधारा (1) के तहत यथानिर्दिष्ट राजनीतिक प्रकृति का कोई संगठन।
- (छ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के उपधारा (1) के खंड (द) में परिभाषित किसी इलक्ट्रॉनिक मोड या किसी अन्य इलक्ट्रॉनिक रूप में या जन संचार के किसी अन्य मोड के माध्यम से ऑडियो समाचार या ऑडियो विजुअल समाचार या समसामयिक कार्यक्रम के निर्माण या प्रसारण में संलग्न कोई एसोसिएशन या कंपनी;
- (ज) बिंदु (छ) में संदर्भित संवाददाता या स्तंभकार, कार्टूनिस्ट, संपादक, एसोसिएशन या कंपनी के मालिक।
- (झ) विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से प्रतिबंधित व्यक्ति या संगठन।

प्रश्न.4 क्याविदेशी अभिदायरुपये में प्राप्त किया जा सकता है?

उत्तर:हाँ। 'विदेशी स्रोत' से प्राप्त कोई दान, सुपुर्दगी या अन्तरण, भारतीय रुपये या विदेशी मुद्रा में, को एफसीआरए, 2010 के तहत 'विदेशी अभिदाय' माना जाता है। इस तरह के लेन-देन, विदेशी अभिदायसे प्राप्त आय पर भारतीय रुपये में ब्याज सहित, को विदेशी अभिदायमाना जाता है।

प्रश्न.5 क्या विदेशी अभिदाय (एफसी) के अर्जित ब्याज या किसी अन्य आय को विदेशी अभिदाय माना जाएगा?

उत्तर:हाँ। यह एफसी का भाग बन जाएगा। कृपया प्रश्न 1 के स्पष्टीकरण 2 देखें।

प्रश्न.6 क्या विदेशी अभिदाय (एफसी) के अर्जित ब्याज या किसी अन्य आय को वर्ष के दौरान प्राप्त नया विदेशी अभिदायमाना जाएगा या नहीं?

उत्तर: नहीं। विदेशी अभिदायसे अर्जित ब्याज या किसी भी अन्य आय को उसी वर्ष के दौरान वार्षिक रिटर्न (प्ररूप एफसी -4) में कॉलम 2 (i) (ख) में दिखाया जाना चाहिए, जिस वर्ष वह अर्जित हुआ है। इस ब्याज या आय को एफसी माना जाएगा।

प्रश्न.7 क्या किसी व्यक्ति द्वारा बेचे गए सामान या दी गयी सेवा के बदले विदेशी ग्राहक (ग्राहकों) से प्राप्त आय विदेशी अभिदाय मानी जाती है?

उत्तर:जैसा कि धारा 2(1)(ज) के तहत स्पष्टीकरण 3 में स्पष्ट किया गया है, विदेशी अभिदायमें किसी व्यक्ति द्वारा बेची गई वस्तुओं या सेवाओं के एवज में विदेशी ग्राहक से होने वाली कमाई शामिल नहीं है, क्योंकि यह भारत के भीतर या बाहर व्यवसाय व्यापार आदि के सामान्य क्रम में वाणिज्यिक प्रकृति का/एवजी लेनदेन है।

प्रश्न.8 क्या अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) द्वारा दिया गया दान 'विदेशी अभिदाय' माना जाता है?

उत्तर:दूसरे देश में रहने वाले भारत के नागरिक (अर्थात, प्रवासी भारतीय) द्वारा, बैंकिंग चैनलों के माध्यम से, उसकी व्यक्तिगत बचत से, अभिदाय को सामान्यतः विदेशी अभिदाय नहीं माना जा सकता। हालांकि, ऐसे एनआरआई से किसी भी दान को स्वीकार करते समय, यह पता लगाने के लिए उसका पासपोर्ट विवरण प्राप्त करना उचित है ताकि यह ज्ञात हो कि वह वास्तव में भारतीय नागरिक है।

प्रश्न.9 क्या भारतीय मूल का और विदेशी नागरिकता वाले किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान 'विदेशी अभिदाय' माना जाता है?

उत्तर:हाँ। विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति से दान को विदेशी अभिदाय माना जाता है। यह पीआईओ/ओसीआई कार्डधारकों पर भी लागू होगा। वे विदेशी हैं। हालांकि, यह 'प्रवासी भारतीयों' पर लागू नहीं होगा, जो अभी भी भारतीय नागरिकता धारण करते हैं, क्योंकि वे विदेशी नहीं हैं।

प्रश्न.10 क्या किसी संबंधी द्वारा विदेश से भेजा गया पैसा एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत विदेशी अभिदायमाना जाता है?

उत्तर:नहीं। एफसीआरए, 2010 की धारा 4 (ड) और एफसीआरए, 2011 के नियम 6 के अनुसार, यहां तक कि जिन लोगों को धारा 3 के तहत निषिद्ध किया गया है, अर्थात्, जिन व्यक्तियों को विदेशी अभिदाय स्वीकार करने की अनुमति नहीं है, उन्हें अपने रिश्तेदारों के साथ विदेशी अभिदाय स्वीकार करने की अनुमति है। हालांकि, एफसीआरए, 2011 के नियम 6 के अनुसार, उसके किसी रिश्तेदार से **एक वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये या उसके समान राशि से अधिक का विदेशी अभिदाय** प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ऐसा अभिदाय प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर केंद्र सरकार को फॉर्म एफसी - 1 में सूचित करेगा। यह फॉर्म वेबसाइट: fcraonline.nic.in पर उपलब्ध है।

प्रश्न.11 क्या धारा 3 के अंतर्गत शामिल नहीं होने वाला कोई व्यक्ति या कोई एचयूएफ एफसीआरए, 2010 की धारा 4 में सूचीबद्ध उद्देश्यों के लिए स्वतंत्रतापूर्वक विदेशी अभिदायस्वीकार कर सकता है?

उत्तर:हाँ। चूंकि, धारा 10 के प्रावधानों के अधीन, धारा 3 के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति को भी, अर्थात्, जिन लोगों को विदेशी अभिदाय स्वीकार करने की अनुमति नहीं है, धारा 4 में सूचीबद्ध प्रयोजनों के लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की अनुमति है, यह स्पष्ट है कि सामान्य रूप से एकल व्यक्ति और एचयूएफ को धारा 4 में सूचीबद्ध उद्देश्यों के लिए विदेशी अभिदाय स्वीकार करने की अनुमति है। हालांकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एफसीआर संशोधन नियम, 2019 में किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत उपयोग के

लिए उपहार के रूप में दिए गए किसी सामान के रूप में विदेशी अभिदाय की स्वीकृति के लिए मौद्रिक सीमा एक लाख रुपये निर्दिष्ट की गयी है।

प्रश्न.12 सम्मेलन/संगोष्ठी आदि में भाग लेने वाले विदेशी प्रतिनिधिमंडलों/भागीदारों द्वारा भुगतान किया गया शुल्क विदेशी अभिदायमाना जाएगा और क्या इसके लिए एफसीआरए के अधीन अनुमति आवश्यक होगी?

उत्तर: नहीं। सम्मेलन/संगोष्ठी में भाग लेने के लिए विदेशी प्रतिनिधियों/प्रतिभागियों द्वारा भुगतान किए गए "प्रतिनिधि/भागीदारी शुल्क" जो सम्मेलन/संगोष्ठी की मेजबानी के खर्च को पूरा करने के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है, को विदेशी अभिदाय नहीं माना जाता है और एफसीआरए के अधीन प्राप्तकर्ता द्वारा इसके लिए कोई अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

प्रश्न.13 निरसित एफसीआरए, 1976 की धारा 2(ग)(i) में, अन्य बातों के अलावा, विदेशी अभिदायकी परिभाषा दी गयी है, जिसके अनुसार किसी विदेशी स्रोत द्वारा किसी समान का दान, सुपुर्दगी या अंतरण, जो किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपहार के रूप में नहीं दिया गया है, यदि उस समान का भारत में मूल्य एक हजार रुपये से अधिक है, विदेशी अभिदाय है। एफसीआरए, 2010 में ऐसे सामान के संबंध में निर्धारित सीमा क्या है?

उत्तर: विदेशी अभिदाय (विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 [सा.का.नि. 659 (अ) दिनांक 16 सितंबर, 2019] के तहत एफसीआरए, 2011 में निम्नलिखित नियम 6क अंतःस्थापित करते हुए यह सीमा एक लाख रुपये विनिर्दिष्ट की गई है।:

"6क. जब व्यक्तिगत उपयोग के लिए दिया गया उपहार विदेशी अभिदाय नहीं है। - किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपहार में दिया गया कोई सामान धारा (2) की उपधारा (1) के खंड (ज) के उप-खंड (i) के अर्थ के भीतर विदेशी अभिदाय नहीं होगा, यदि ऐसा उपहार दिए जाने की तारीख को भारत में उसका बाजार मूल्य एक लाख रुपये से अनधिक है।"

B. विदेशी स्रोत

प्रश्न.1 विदेशी स्रोत क्या है?

उत्तर: एफसीआरए, 2010 की धारा 2 (1) (ज) में यथापरिभाषित विदेशी स्रोत में शामिल है: -

- (i) किसी विदेशी देश या क्षेत्र की सरकार और ऐसी सरकार की कोई एजेंसी;
- (ii) कोई अंतरराष्ट्रीय एजेंसी, जो संयुक्त राष्ट्र या उसकी कोई विशेष एजेंसी, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के तहत विनिर्दिष्ट कोई अन्य एजेंसी नहीं है;
- (iii) कोई विदेशी कंपनी;
- (iv) किसी विदेशी राष्ट्र या क्षेत्र में निगमित कोई निगम, जो विदेशी कंपनी नहीं है;
- (v) एफसीआरए, 2010 की धारा 2 के खंड (छ) के उप-खंड (iv) में संदर्भित एक बहु-राष्ट्रीय निगम;
- (vi) कंपनी अधिनियम, 1956 के अर्थ के भीतर एक कंपनी, और उसकी शेयर पूंजी के नामित मूल्य का आधा से अधिक, या तो एकल या सकल रूप में, निम्नलिखित में से एक या अधिक द्वारा धारित है: -

क. एक विदेशी देश या क्षेत्र की सरकार;

ख. किसी विदेशी देश या क्षेत्र के नागरिक;

ग. किसी विदेशी राष्ट्र या क्षेत्र में शामिल निगम;

घ. किसी विदेशी राष्ट्र या क्षेत्र में गठित या पंजीकृत ट्रस्ट, सोसाइटी या व्यक्तियों के अन्य एसोसिएशन (चाहे निगमित हों या न हों);

ङ. विदेशी कंपनी; [परंतु कि जहां शेयर पूंजी का नामित मूल्य विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत विदेशी निवेश के लिए निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर है, तो कंपनी की शेयर पूंजी के नामित मूल्य अभिदाय करते समय ऐसे मूल्य के आधे से अधिक होने के बावजूद ऐसी कंपनी विदेशी स्रोत नहीं होगी]

- (vii) किसी भी विदेशी राष्ट्र या क्षेत्र में कोई ट्रेड यूनियन, भले ही वह ऐसे विदेशी राष्ट्र या क्षेत्र में पंजीकृत हो

या नहीं;

- (viii) किसी भी नाम से जाना जाने वाला कोई विदेशी ट्रस्ट या विदेशी फाउंडेशन, या ऐसा ट्रस्ट या फाउंडेशन मुख्य रूप से किसी विदेशी देश या क्षेत्र द्वारा वित्तपोषित है;
- (ix) भारत के बाहर गठित या पंजीकृत कोई सोसाइटी, क्लब या व्यक्तियों के अन्य एसोसिएशन;
- (x) किसी विदेशी देश का नागरिक;"

नोट - संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों/बहुउद्देशीय संगठनों के कुछ निकायों/संगठनों को इस परिभाषा से बाहर रखा गया है, और उन्हें विदेशी स्रोत नहीं माना जाएगा। इसलिए, उनसे प्राप्त धन को विदेशी अभिदाय नहीं माना जाएगा। ऐसे निकायों/संगठनों की सूची, जिन्हें विदेशी स्रोत नहीं माना जाता है, वेबसाइट fcraonline.nic.in पर उपलब्ध हैं।

प्रश्न.2 क्या विदेशी मूल का कोई व्यक्ति जिसने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है विदेशी स्रोत माना जाएगा?

उत्तर:हाँ। सभी गैर-भारतीय पासपोर्ट धारकों से प्राप्त अभिदाय को "विदेशी स्रोत" माना जाता है।"

प्रश्न.3 विदेशी कंपनी क्या है?

उत्तर:एफसीआरए, 2010 की धारा 2(1)(छ) देखें। विदेशी कंपनी से भारत के बाहर निगमित कोई कंपनी या एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है और इसमें शामिल हैं –

- क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 379 के अर्थ के भीतर कोई विदेशी कंपनी
- ख) किसी विदेशी कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी
- ग) उपखंड (i) में उल्लिखित कोई विदेशी कंपनी या उपखंड (ii) में उल्लिखित किसी कंपनी का पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान;
- घ) कोई बहुराष्ट्रीय निगम

प्रश्न.4 बहुराष्ट्रीय निगम क्या है?

उत्तर:एफसीआरए, 2010 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड (छ) के तहत दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार किसी विदेशी राष्ट्र या क्षेत्र में निगमित कोई निगम एक बहु-राष्ट्रीय निगम माना जाएगा यदि ऐसे निगम का,-

- (क) दो या अधिक देशों या क्षेत्रों में कोई अनुषंगी या कोई शाखा या व्यवसाय स्थान हो; या
- (ख) दो या अधिक देशों या क्षेत्रों में व्यवसाय प्रचालनों का संचालन है;

प्रश्न.5 क्या कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन भारत में निगमित कोई कंपनी, जिसका दो या अधिक देशों में प्रचालन है, एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत एमएनसी मानी जाएगी?

उत्तर:नहीं।

C. अन्य मुख्य परिभाषाएं और संकल्पनाएं

प्रश्न.1 निर्वाचन के लिए उम्मीदवार का क्या अर्थ है?

उत्तर:निर्वाचन के लिए उम्मीदवार का अर्थ, किसी विधायिका के लिए निर्वाचन के लिए ऐसे नामांकन की तारीख से उम्मीदवार के रूप में विधिवत नामित कोई व्यक्ति है।

प्रश्न.2 पंजीकृत समाचारपत्र क्या है?

उत्तर: "पंजीकृत समाचारपत्र" प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अधीन पंजीकृत समाचारपत्र है।

प्रश्न.3 राजनीतिक दल क्या है?

उत्तर:एफसीआरए, 2010 की धारा 2(1)(4) का सन्दर्भ ग्रहण करें। "राजनीतिक दल" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

- (i) भारत के एकल नागरिकों का एक एसोसिएशन या निकाय -
क) जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन एक राजनितिक दल के रूप में भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हो; या
ख) जिसने किसी विधायिका के लिए उम्मीदवार खड़े किए हैं किंतु जो निर्वाचन चिह्न (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन इस प्रकार पंजीकृत न हों या नहीं माना गया हो;
- (ii) भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 08 अगस्त, 2002 की अधिसूचना संख्या 56/जेएंडके/02, जैसा तत्समय लागू हो, की तालिका 1 के स्तम्भ 2 और तालिका 2 में उल्लिखित कोई राजनितिक दल;

पंजीकरण और पूर्व अनुमति

प्रश्न.1 कोई व्यक्ति विदेशी अभिदायस्वीकार करने की अनुमति कैसे प्राप्त करता है?

उत्तर: एफसीआरए, 2010 के अनुसार विदेशी अभिदायस्वीकार करने की अनुमति प्राप्त करने के दो तरीके हैं:

- पंजीकरण
- पूर्व अनुमति

A. पात्रता

प्रश्न.2 पंजीकरण प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

उत्तर: एफसीआरए, 2010 के अधीन पंजीकरण प्रदान किए जाने के लिए, एसोसिएशन :

- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) आदिजैसी विद्यमान संविधि के अधीन पंजीकृत हो;
- सामान्य तौर पर कम से कम तीन वर्ष से विद्यमान हो और समाज के लाभार्थ अपने चुने हुए क्षेत्र में उचित कार्यकलापों में संलग्न हो, जिसके लिए विदेशी अभिदाय का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवेदनकर्ता एनजीओ/एसोसिएशन पिछले तीन वर्ष के दौरान व्यय किए गए पंद्रह लाख रुपये की न्यूनतम सीमा के लिए पात्र होने हेतु व्यय के अपने मद चुनने के लिए स्वतंत्र है (एफसीआरए में यथापरिभाषित प्रशासनिक व्यय को छोड़कर)। यदि एसोसिएशन भूमि, भवन, अन्य स्थाई संरचनाओं, गाड़ियों, उपकरणों आदि जसी संपत्तियों में अपने पूंजी निवेश को शामिल करना चाहता है तो, मुख्य अधिकारियों को वचन देना होगा कि इन परिसंपत्तियों का उपयोग केवल एफसीआरएकार्यों के लिए किया जाएगा और उन्हें गैर सरकारी संगठन के एफसीआरए पंजीकरण के वैध रहने तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए डायवर्ट नहीं किया जाएगा।

प्रश्न.3 पूर्व अनुमति प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

उत्तर: गठन के स्तर पर कोई संगठन पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए पात्र नहीं होता है। ऐसा संगठन एफसीआरए, 2010 के अधीन पूर्व अनुमतिप्रदान करने के लिए आवेदन कर सकता है।

विनिर्दिष्ट कार्यकलाप/परियोजनाएं चलाने के लिए विनिर्दिष्ट दान दाता(दाताओं) से कोई विनिर्दिष्ट राशि की प्राप्ति के लिए पूर्व अनुमतिली जाती है। इस उद्देश्य के लिए, एसोसिएशन को निम्नलिखित मानदंड पूरा करना होगा:

- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 आदि के अधीनपंजीकृत हो;
- दानदाता से एक विशेष प्रतिबद्धता पत्र प्रस्तुत करे जिसमें विदेशी अभिदाय की राशि और उसका प्रस्तावित उद्देश्य बताया गया हो; और
- समान सदस्यों वाले भारतीय प्राप्तकर्ता संगठनों और विदेशी दानदाता संगठनों के लिए, भारतीय प्राप्तकर्ता संगठनों को निम्नलिखित शर्तें पूरा करने के अधीन एफसीआरएके तहत पूर्व अनुमतिप्रदान की

जाएगा:

- i) भारतीय प्राप्तकर्ता संगठन का मुख्य अधिकारी दानदाता संगठन का हिस्सा नहो।
- ii) भारतीय प्राप्तकर्ता संगठन के शासी निकाय के कम से कम 75% पदाधिकारी/सदस्य विदेशी दानदाता संगठन के सदस्य/कर्मचारी नहीं हों।
- iii) विदेशी दानदाता संगठन के एकल व्यक्ति होने की स्थिति में वह व्यक्ति भारतीय प्राप्तकर्ता संगठन का मुख्य अधिकारी या पदाधिकारी नहीं हों।
- iv) एकल विदेशी दानदाता की स्थिति में, प्राप्तकर्ता संगठन के शासी निकाय के कम से कम 75% पदाधिकारी/सदस्यदानदाता के परिवार के सदस्य और निकट संबंधी न हों।

प्रश्न.4 पंजीकरण और पूर्व अनुमति प्रदान करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें क्या हैं?

उत्तर: एफसीआरए, 2010 की धारा 12 (4) के अनुसार, पंजीकरण और पूर्व अनुमति प्रदान करने की निम्नलिखित शर्तें होंगी:

(a) पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति -

- i. काल्पनिक या बेनामी न हो;
 - ii. एक धार्मिक मत से दूसरे में प्रलोभन या बल प्रयोग द्वारा धर्मांतरण, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्ष रूप से, में संलग्न होने के लिए अभियोजित या दोषसिद्ध नहीं हुआ हो;
 - iii. देश के किसी जिले या किसी निश्चित क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव या वैमनस्य फैलाने के लिए अभियोजित या दोषसिद्ध नहीं हुआ हो;
 - iv. अपनी निधियों के अन्यत्र उपयोग या दुरुपयोग का दोषी नहीं पाया गया हो;
 - v. अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए देशद्रोह के प्रचार या हिंसक तरीकों की वकालत में संलग्न होने की संभावना नहीं है;
 - vii. इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया हो;
 - viii. विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से निषिद्ध नहीं किया गया है;
 - ix. उस व्यक्ति के एकल व्यक्ति होने पर, ऐसे व्यक्ति को उस समय लागू किसी कानून के तहत न तो दोषी ठहराया गया है और न ही उसके खिलाफ किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन लंबित है।
 - x. उस व्यक्ति के एकल व्यक्ति से इतर होने पर, इसके निदेशकों या पदाधिकारियों को उस समय लागू किसी कानून के तहत न तो दोषी ठहराया गया है और न ही उनके खिलाफ किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन लंबित है।
- (b) एसोसिएशन /व्यक्ति द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार किए जाने से निम्नलिखित पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है-

- i. भारत की संप्रभुता और अखंडता;
- ii. राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित;
- iii. सार्वजनिक हित;
- iv. किसी विधानमंडल के निर्वाचन की स्वतंत्रता या निष्पक्षता;
- v. किसी भी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध;
- vi. धार्मिक, नस्लीय, सामाजिक, भाषाई, क्षेत्रीय समूहों, जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द।

(c) विदेशी अभिदाय की स्वीकृति-

- i. किसी अपराध को नहीं उकसाएगा;
- ii. किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा।

प्रश्न.5 क्या कोई निजी लिमिटेड कंपनी या कोई भागीदारी फर्म एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्राप्त कर सकती है?

उत्तर: हां, एक निजी लिमिटेड कंपनी भी विदेशी धन प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमति/पंजीकरण की मांग कर सकती है, यदि वह समाज के लिए कुछ उपयोगी/लाभकारी कार्य करना चाहती है।

प्रश्न.6 क्या किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) को एफसीआरए, 2010 की धारा 11 के अनुसार विदेशी अभिदायस्वीकार करने के लिए पंजीकरण पूर्व अनुमतिप्रदान की जा सकती है?

उत्तर:हाँ।विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 2 (1) (ड) के तहत 'व्यक्ति' की परिभाषा में अन्यो के साथ व्यक्ति और 'हिंदू अविभक्त कुटुंब' शामिल हैं। ऐसा व्यक्ति या एचयूएफ भी पंजीकरण प्रमाण पत्र या विदेशी अभिदाय स्वीकार करने की पूर्व अनुमति के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है।

प्रश्न. 7 क्या केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन संगठनों को विदेशी अभिदायस्वीकार करने के लिए एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत पंजीकरण या पूर्व अनुमतिप्राप्त करना आवश्यक है?

उत्तर:हाँ।किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी प्रशासनिक या कार्यकारी आदेश द्वारा गठित या स्थापित और संबंधित सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले संगठन (राजनीतिक दल नहीं होने पर), भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) या सीएजी की किसी एजेंसी द्वारा जिनके खातों की लेखापरीक्षा आवश्यक है, को एफसीआरए, 2010 के सभी प्रावधानों के लागू होने से छूट प्राप्त है।

B.कार्यकारी समिति

प्रश्न.8 क्या विदेशियों को पंजीकरण यापूर्व अनुमतिमांगने वाले किसी एसोसिएशन की कार्यकारी समिति का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है?

उत्तर:सामान्यतः ऐसे संगठनों को विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की अनुमति नहीं है, जिनकी कार्यकारी समितियों या शासी निकायों में भारतीय मूल के लोगों के अलावा अन्य विदेशी नागरिक सदस्य हैं।तथापि, ऐसे विदेशियों को, उसके कार्यक्षेत्र में उसकी प्रतिष्ठा के आधार पर पदेन क्षमता या विशुद्ध मानद क्षमता में, इन एसोसिएशनों से संबद्ध होने की अनुमति दी जा सकती है, यदि वह ऐसे बहुपक्षीय निकायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनसे प्राप्त विदेशी अभिदायको विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। निम्नलिखित आधारों के पूरा होने पर, सक्षम प्राधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा इसमें छूट देने पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जा सकता है:

- (i) वह विदेशी किसी भारतीय नागरिक से विवाहित हो;
- (ii) वह विदेशी पिछले पांच वर्षों से भारत में रह रहा हो और काम कर रहा हो;
- (iii) उस विदेशी ने अतीत में भारत में स्वेच्छा से अपना विशेष ज्ञान उपलब्ध कराया हो, विशेषकर चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में;
- (iv) वह विदेशी, सरकारों के बीच किसी समझौते के अनुरूप न्यासी परिषद्/कार्यकारी समिति का सदस्य हो;
- (v) वह विदेशी, किसी ऐसे बहुपक्षीय निकाय का पदेन क्षमता में प्रतिनिधित्व करते हुए, न्यासी परिषद्/कार्यकारी समिति का सदस्य हो, जो विदेशी स्रोत की परिभाषा से छूट प्राप्त हो।

प्रश्न.9 क्या सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश और सरकार के स्वामित्व वाली/नियंत्रण वाली कंपनी/निकाय के कर्मचारी किसी एसोसिएशन की कार्यकारी समिति/बोर्ड में हो सकते हैं?

उत्तर:हाँ। एफसीआरए, 2010 के अधीन किसी 'व्यक्ति' की कानूनी स्थिति किसी एकल व्यक्ति से पृथक है। इसलिए, जो एकल व्यक्तिविदेशी अभिदायप्राप्त नहीं कर सकते हैं, वे ऐसीएसोसिएशन की कार्यकारी समिति/बोर्ड में हो सकते हैं।

प्रश्न.10 क्या निरसित एफसीआरए, 1976 के अधीन प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र या पूर्व अनुमतिएफसीआरए, 2010 के लागू होने पर वैध रहेगा?

उत्तर:हाँ।निरसित एफसीआरए,1976 के अधीन पूर्व अनुमतिया पंजीकरण प्राप्त कोई एसोसिएशन एफसीआरए, 2010 के अधीन पंजीकरण या पूर्व अनुमतिप्राप्त, जैसा भी मामला हो, माना जाएगा।एफसीआरए, 1976 के अधीन प्रदान किया हुआ पंजीकरण 01 मई, 2011 से 5 वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात 30 अप्रैल, 2016 तक वैध था और यदि इसका नवीकरण किया गया हो तो यह 5 वर्ष की एक और अवधि के लिए वैध था।

प्रश्न.11 क्या एफसीआरए, 1976 के अधीन प्रदत्त पूर्व अनुमति 01 मई, 2011, एफसीआरए, 2010 के लागू होने की तारीख, से अगले 5 वर्ष के लिए भी वैध होगी?

उत्तर:नहीं।एफसीआरए, 1976 के अधीन दी गयी पूर्व अनुमति एफसीआरए, 2010 के अधीन उस एफसीआरए की राशि की प्राप्ति और पूर्ण उपयोग तक वैध होगी जिसके लिए अनुमति प्रदान की गयी है।

D. आवेदन कैसे करें

प्रश्न.1 पंजीकरण /पूर्व अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन कैसे प्रस्तुत करें?

उत्तर:पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्रदान करने के लिए वेबसाइट fcraonline.nic.in पर प्ररूप एफसी-3 (क) या एफसी-3 (ख) में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

प्रश्न.2 यदि किसी एसोसिएशन द्वारा पंजीकरण या पूर्व अनुमतिके लिए कोई आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाता है तो, क्या उसे मुद्रित रूप में भी आवेदन प्रस्तुत करना होगा?

उत्तर:नहीं।सभी आवश्यक दस्तावेजों को केवल ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जाना है और किसी भी परिस्थिति में गृह मंत्रालय द्वारा कोई भौतिक प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी भौतिक दस्तावेज, भले ही प्राप्त हो, तुरंत प्रेषक को वापस कर दिए जाएंगे।

E. ऑनलाइन प्ररूप भरना

प्रश्न.3 पंजीकरण /पूर्व अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन करने हेतु ऑनलाइन प्ररूप कैसे भरें?

उत्तर:पंजीकरण और पूर्व अनुमतिके लिए क्रमशः एफसी-3 (क) और एफसी-3 (ख) को भरने में आसान फॉर्मेट में डिजाइन किया गया है। आवेदक आवेदन करते समय ऑनलाइन प्ररूप के प्रत्येक वेब पेज पर अनुदेश देख सकते हैं।

प्रश्न.4 ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा चुके पंजीकरण या पूर्व अनुमति के आवेदन में गलतियों का सुधार कैसे करें?

उत्तर:आवेदन के अंतिम रूप से ऑनलाइन जमा हो जाने के बाद किसी गलती के संशोधन की अनुमति नहीं है। किसी गलती की स्थिति में, एफसीआरए सुविधा केंद्र/सहायता डेस्क से संपर्क करें।

D. आवश्यक दस्तावेज

प्रश्न.1 क्या सभी सदस्यों और एनजीओ के लिए क्रमशः आधार संख्या और दर्पण आईडी अनिवार्य है?

उत्तर: सभी एफसीआरए सेवाएं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, अतः आधार संख्या और दर्पण आईडी अब अनिवार्य है।

प्रश्न.2 पंजीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज क्या है?

उत्तर: आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां साथ रखें:
(A) पं

जीकरण

- (i) मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर की jpg फ़ाइल (साइज़:50kb)
- (ii) एसोसिएशन के पंजीकरण प्रमाण पत्रट्रस्ट डीड आदि की/ स्वप्रमाणित प्रति- (साइज़:1mb)
- (iii) एसोसिएशन के उद्देश्य और लक्ष्य दर्शाते हुए एसोसिएशन ज्ञापन/एसोसिएशन अनुच्छेद के प्रासंगिक पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रति- I (साइज़:5mb)
- (iv) पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यकलाप के ब्यौरे दर्शाते हुए कार्यकलाप रिपोर्ट;(साइज़:3mb)
- (v) एसोसिएशन के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर व्यय और प्रशासनिक व्यय पर व्यय को स्पष्ट दर्शाते हुए पिछले तीन वर्षों के खातों के संबंधित लेखा परीक्षित विवरणों की प्रतियां आस्तियों और देयताएं), रसीद और भुगतान, आय और व्यय(; (साइज़:5mb)
- (vi) **10,000/-** रुपये के शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जाना है

B. पूर्व अनुमति

- (i) मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर की jpg फ़ाइल (साइज़:50kb)
- (ii) एसोसिएशन के पंजीकरण प्रमाण पत्रट्रस्ट डीड आदि की/ स्वप्रमाणित प्रति- (साइज़:1mb)
- (iii) दानदाता से विधिवत हस्ताक्षरित प्रतिबद्धता पत्र। (साइज़:5mb)
- (iv) यदि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अधीन पंजीकृत किसी प्रकाशन के संपादक, स्वामी, मुद्रक या प्रकाशक के रूप में कार्य कर रहा है तो, भारत में समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार से इस आशय का प्रमाणपत्र कि यह प्रकाशन उक्त अधिनियमकी धारा 1(1)के अनुसार एक समाचार पत्र नहीं है।
- (v) 5,000/-रुपये के शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जाना है ।
- (vi) वह परियोजना रिपोर्ट जिसके लिए एफसीप्राप्त किया जाएगा। (साइज़:3mb)

प्रश्न.3 ऑनलाइन प्ररूप एफसी-3 में एमओए के कौन से पृष्ठ अपलोड किए जाने हैं?

उत्तर:एसोसिएशन ज्ञापन (एमओए) सीमित देयता कंपनी का उसके शेयरधारकों से संबंद परिभाषित करने के लिए उसके गठन और पंजीकरण की प्रक्रिया में तैयार किया गया क़ानूनी दस्तावेज है। एमओएसर्वजानिक रूप से उपलब्ध होता है और इसमें कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय का स्थानिक पता, शेयरधारकों के नाम और शेयरों का वितरण वर्णित होता है। एमओएऔर एसोसिएशन अनुच्छेद कंपनी के संविधान के रूप में कार्य करते हैं।

प्रश्न.4 एफसी- 3 प्ररूप के साथ अपलोड किए जाने वाले लेखापरीक्षित विवरण का प्ररूप क्या है?

उत्तर:पिछले तीन वर्षों के खातों (संपत्तियां और देयताएं, प्राप्ति और भुगतान, आय और व्यय) के लेखा परीक्षित विवरण जिसमें एसोसिएशन के उद्देश्य और लक्ष्यों पर तथा प्रशासन पर किए गए व्यय को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा उनकी सदस्यता संख्या के साथ विधिवत हस्ताक्षरित हो।

प्रश्न.5 अपलोड करने के लिए फाइल के आकार की सीमाएं क्या हैं?

उत्तर: आवेदक फाइल अपलोड करने के संबंध में फाइल के आकार से संबंधित अनुदेश, आवेदन जमा करते समय ऑनलाइन प्ररूप के वेब पेज से प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न.6 पंजीकरण यापूर्व अनुमतिके लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए जिला समाहर्ता या उपयुक्त या जिला दंडाधिकारी की अनुशंसा अनिवार्य है?

उत्तर:नहीं।जिला समाहर्ता या उपयुक्त या जिला दंडाधिकारीसे सत्यापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

(d) शुल्क का भुगतान

प्रश्न.1 पंजीकरण और पूर्व अनुमति और नवीकरण प्रदान करने के लिए शुल्क की राशि क्या है?

उत्तर: एसोसिएशन को पंजीकरण के लिए 10,000/- रुपये शुल्क, पूर्व अनुमति के लिए 5,000/- रुपये शुल्क और नवीकरण के लिए 5000/- रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

प्रश्न.2 शुल्क का भुगतान कैसे करें? क्या बैंक ड्राफ्ट/चेक आदि के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया जा सकता है?

उत्तर: शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे के माध्यम ऑनलाइन किया जाना है। बैंक ड्राफ्ट/चेक स्वीकार नहीं किया जाता है।

प्रश्न.3 पंजीकरण या पूर्व अनुमतिके लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए जिला समाहर्ता या उपयुक्त या जिला दंडाधिकारी की अनुशंसा अनिवार्य है?

उत्तर: नहीं। जिला समाहर्ता या उपयुक्त या जिला दंडाधिकारी से सत्यापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

(e) ऑनलाइन प्ररूप की स्थिति

प्रश्न.1 पंजीकरण /पूर्व अनुमति/नवीकरण के लिए लंबित आवेदन की स्थिति की जानकारी कैसे प्राप्त करें?

उत्तर: पंजीकरण /पूर्व अनुमति/नवीकरण के लिए लंबित आवेदन की स्थिति आवेदन दायर करते समय सृजित आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके एफसीआरए ऑनलाइन सेवाओं पर ऑनलाइन देखी जा सकती है।

विदेशी अभिदाय की स्वीकृति और उपयोग

A. स्वीकार करना

प्रश्न.1 एफसीआरए, 2010 के अधीन पंजीकृत /पूर्व अनुमति प्राप्त कोई एसोसिएशन किनसे विदेशी अभिदाय प्राप्त कर सकता है?

उत्तर- एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत पंजीकृत या पूर्व अनुमति प्राप्त एसोसिएशनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने केवल विधिसम्मत विदेशी स्रोतों से और अधिनियम के अधीन यथा विहित कार्यकलापों के लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त किया।

प्रश्न.2 क्या विद्यमान एनजीओ के लिए एसबीआई, संसद मार्ग, मुख्य शाखा, नई दिल्ली में 'एफसीआरएखाता' खोलना अनिवार्य है और कैसे?

उत्तर- एफसीआरए में पंजीकृत एनजीओ को विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए एसबीआई, संसद मार्ग, मुख्य शाखा, नई दिल्ली में एक 'एफसीआरएखाता' खोलना होगा। भारत में किसी अन्य स्थान पर स्थित संगठन व्यक्तिगत रूप से नई दिल्ली गए बिना भी एसबीआई, संसद मार्ग, मुख्य शाखा, नई दिल्ली में नामित एफसीआरए खाता खोल और रख सकते हैं। इस संबंध में, भारतीय स्टेट बैंक का एक विस्तृत एसओपी एसबीआई और एफसीआरएके पोर्टल पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

प्रश्न.3 क्या एसबीआई के अलावा अन्य विद्यमान बैंक खाते में विदेशी अभिदाय प्राप्त किया जा सकता है?

उत्तर: संशोधित एफसीआरए, 2010 के अनुसार, कोई संगठन एसबीआई, मुख्य शाखा, नई दिल्ली के

अलावा किसी अन्य बैंक/शाखा में विदेशी अभिदायप्राप्त नहीं करेगा।

प्रश्न.4 क्या कोई प्रतिबंधित संगठन हैं जिनसे विदेशी अभिदायनहीं प्राप्त किया जाना चाहिए?

उत्तर:हाँ।एफसीआरएका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है किविदेशी अभिदायविधिसम्मत स्रोत से प्राप्त हो और किसी व्यक्ति द्वारा इसका उपयोग विधिसम्मत उद्देश्यों के लिए किया जाए।

प्रश्न.5 क्या किसी एसोसिएशन द्वारा विदेशी अभिदायकी वह राशि, जिसके लिए पूर्व अनुमति प्राप्त की गयी है, को किस्तों में प्राप्त किया जा सकता है?

उत्तर:हाँ।ऐसा विदेशी अभिदायकिस्तों में प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं है।किंतु, कुल राशि उस निर्धारित कुल राशि से अधिक नहीं हो जिसके लिए पूर्व अनुमतिप्रदान की गई है।

एसोसिएशन को, विदेशी अभिदायकी राशि के पूरा उपयोग होने तक, विदेशी अभिदायकी प्राप्ति और उपयोग के लिए एफसी-4 प्ररूप में अनिवार्य ऑनलाइन रिटर्न वार्षिक आधार पर दायर करनी होगी।यदि किसी वर्ष में कोई लेन देन नहीं होता है तब भी, शून्य रिटर्न जमा करनी होगी।

A. प्रशासनिक व्यय

प्रश्न.6 एफसीआरए,2010 के अनुसार प्रशासनिक व्ययक्या है?

उत्तर:एफसीआरआर, 2011 के नियम 5 में परिभाषित किया गया है कि प्रशासनिक व्ययमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) उस व्यक्ति की कार्यकारी समिति या शासी परिषद के सदस्यों के वेतन, मेहनताना, यात्रा व्यय या पारिश्रमिक;
- (ii) व्यक्ति के कार्यकलापों के प्रबंधन के लिए कार्मिकों को रखने का सभी व्यय और ऐसे कार्मिकों के यात्रा व्यय सहित, भुगतान किया गया वेतन, मेहनताना या कोई अन्य पारिश्रमिक;
- (iii) विद्युत् और जल प्रभार, दूरभाष प्रभार, डाक प्रभार, संगठन या एसोसिएशन के कार्यस्थल भवन की मरम्मत, लेखन सामग्री और मुद्रण प्रभार, कार्यकारी समिति या शासी निकाय के सदस्यों का यात्रा व्यय और कार्यालय उपकरण पर व्यय जैसे उपभोग सामग्रियों से संबंधित सभी व्यय;
- (iv) लेखांकन और प्रशासन की लागत;
- (v) गाड़ियों के परिचालन और रखरखाव का व्यय;
- (vi) रिपोर्ट लिखने और फाइल करने की लागत;
- (vii) विधिक और व्यावसायिक प्रभार; और
- (viii) भवन का किराया, भवन की मरम्मत और अन्य सुविधाओं पर व्यय;

परंतु यह कि मुख्यतः अनुसन्धान और प्रशिक्षण में संलग्न किसी एसोसिएशन के प्रशिक्षण या फील्ड आंकड़ों के संकलन या विश्लेषण में संलग्न कार्मिकों के वेतन या पारिश्रमिक पर किया गया व्यय प्रशासनिक व्यय में नहीं गिना जाएगा:

परंतु यह और कि कल्याण-केन्द्रित संगठन के घोषित उद्देश्यों को पूरा करने में प्रत्यक्ष तौर पर किया गया व्यय प्रशासनिक व्ययनहीं होगा, जैसे कि अस्पताल में चिकित्सकों का वेतन, विद्यालय में शिक्षकों का वेतन आदि।

B. निधियों का उपयोग

प्रश्न.7 क्या विदेशी अभिदाय का निवेश म्यूचुअल फंड या अन्य जोखिम वाले निवेशों में किया जा सकता है?

उत्तर:नहीं।एफसीआरआर 2011 के नियम 4 में सट्टेबाजी की गतिविधियों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

(क) म्यूचुअल फंड या शेयरों में निवेश सहित कोई भी गतिविधि अथवा निवेश ,जो बाजार बालों से संबंधित

हो, जिसमें मूल निवेश से बढ़ोत्तरी अथवा कमी होने का जोखिम हो;
(ख) किसी स्कीम में भागीदारी, जो अधिक लाभ का वचन देती हो, जैसे चिट अथवा भूमि या ऐसी आस्तियों में, जिनका संगठन अथवा विनिधान एसोसिएशन के घोषित लक्ष्यों या उद्देश्यों से सीधा संबंध न हो।
प्रत्येक एसोसिएशन निवेशों का एक पृथक रजिस्टर रखेगी। उपनियम (3) के अधीन अनुरक्षित ऐसा प्रत्येक रजिस्टर लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रश्न.8 क्या विदेशी अभिदाय की सहायता से खरीदी गई परिसंपत्ति का अधिग्रहण एसोसिएशन के पदाधिकारियों के नाम में किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं। विदेशी अभिदाय से खरीदा गया प्रत्येक परिसंपत्ति एसोसिएशन के नाम में अधिगृहीत की जानी चाहिए और उस पर एसोसिएशन का कब्जा होना चाहिए क्योंकि उसके सदस्यों से इतर एसोसिएशन की अपनी अलग विधिक स्थिति है।

प्रश्न.9 क्या कोई एसोसिएशन उसे प्राप्त विदेशी अभिदायका निवेश लाभदायी उपक्रम में कर सकता है और क्या इससे प्राप्त आय के उपयोग कल्याणकारी कार्यकलापों में किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं। एसोसिएशनों को एफसीआरए अधिनियम 2010 के अंतर्गत कुछ उद्देश्यों/लक्ष्यों के लिए एफसी प्राप्त करने हेतु पंजीकरण/पूर्व अनुमतिप्रदान की जाती है। तदनुसार, एफसीका उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्रदान की गयी है।

प्रश्न.10 क्या एक से अधिक बैंक खातों में विदेशी अभिदाय प्राप्त किया जा सकता है और क्या एक से अधिक बैंक खातों से विदेशी अभिदायका उपयोग किया जा सकता है?

उत्तर: विदेशी अभिदाय केवल एसबीआई की नई दिल्ली मुख्य शाखा के अनन्य एकल "एफसीआरए खाते" (जिसे नामित एफसी खाता भी कहा जाता है) में प्राप्त किया जाए, जैसा कि पंजीकरण या पूर्व अनुमति के लिए आदेश में उल्लेख किया गया है और एसोसिएशनों द्वारा स्वतंत्र रूप से रखरखाव किया जाएगा। इस "एफसीआरए खाता" के अलावा, एसोसिएशन अपनी पसंद के किसी भी अनुसूचित बैंक में "एक और एफसीआरए खाता" खोल सकती है और इन खातों को विदेशी अभिदाय के अंतरण के लिए लिंक कर सकती है। इसके अलावा, एसोसिएशन द्वारा नामित एफसीआरए बैंक खाते में विदेशी अभिदाय के प्राप्त होने के बाद, विदेशी अभिदाय का 'उपयोग' करने के लिए एक या एक से अधिक अनुसूचित बैंकों में एक या एक से अधिक खाते (जिसे उपयोग खाता कहा जाता है) खोले जा सकते हैं, बशर्ते ऐसे खाते या खातों में विदेशी अभिदाय के अलावा कोई फंड न तो प्राप्त किया जाएगा न जमा किया जाएगा और किसी भी परिवर्तन के सभी मामलों में, ऐसे खाते के खुलने के 15 दिनों के भीतर एफसी -6 घ में ऑनलाइन सूचना देनी होगी।

प्रश्न.11 क्या कोई एसोसिएशन विदेशी अभिदाय का अंतरण एक उपयोगिता खाते से दूसरे उपयोगिता खाते में कर सकता है?

उत्तर: संशोधित एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत, प्राप्तकर्ता द्वारा कोई विदेशी अभिदायका किसी अन्य एनजीओ/व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता है।

विदेशी अभिदाय का अंतरण

प्रश्न.1 क्या पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्राप्त कोई एसोसिएशन उसे प्राप्त एफसीका अंतरण किसी अन्य संगठन को कर सकता है? यदि हाँ तो, ऐसा करने की प्रक्रिया क्या है? किसी किसी अन्य संगठन को निधि के अंतरण पर कोई प्रतिबन्ध है?

उत्तर: संशोधित एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत, प्राप्तकर्ता द्वारा किसी विदेशी अभिदायको किसी अन्य एनजीओ/व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता है।

खातों का रखरखाव

प्रश्न.1 क्या विदेशी अभिदायको स्थानीय प्राप्तियों के साथ मिलाया जा सकता है?

उत्तर: नहीं। विदेशी अभिदाय प्राप्त करने और उसके उपयोग से संबंधित खातों और अभिलेखों का रखरखाव अनन्य रूप से/अलग से किया जाना है।

वार्षिक रिटर्न जमा कराना

प्रश्न.1 क्या वार्षिक रिटर्न ऑनलाइन जमा कराना अनिवार्य है?

उत्तर: हां, वार्षिक रिटर्न fcraonline.nic.in पर ऑनलाइन भरनी होगी। गृह मंत्रालय के एफसीआरए विंग में रिटर्न की कोई हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।

प्रश्न.2 ऑनलाइन रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर: वर्ष की समाप्ति अर्थात् 31 दिसंबर से नौ महीने के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) के लिए रिटर्न ऑनलाइन जमा करनी होती है।

प्रश्न.3 वार्षिक रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: वार्षिक रिटर्न निर्धारित प्रपत्र एफसी-4 में fcraonline.nic.in पर ऑनलाइन जमा करनी है, और उसके साथ किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित विधिवत बैलेंस शीट और रसीद और भुगतान का विवरण होना चाहिए। वर्ष के दौरान विदेशी अभिदाय की कोई रसीद/उपयोग न होने पर भी शून्य रिटर्न जमा करना अनिवार्य है। हालांकि ऐसे मामले में चार्टर्ड एकाउंटेंट से सर्टिफिकेट, खातों का लेखा परीक्षित विवरण अपलोड करने की जरूरत नहीं है। वार्षिक रिटर्न fcraonline.nic.in पर ऑनलाइन दर्ज करनी होगी।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 (एफसीआरए, 2011) के नियम 17 का अवलोकन करें

प्रश्न.4 विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त किसी एसोसिएशन को कितने वर्षों तक अनिवार्य वार्षिक रिटर्न जमा करनी चाहिए?

उत्तर: एसोसिएशन को वार्षिक आधार पर अनिवार्य वार्षिक रिटर्न भरनी चाहिए, जब तक कि विदेशी अभिदाय की राशि का पूरा उपयोग न हो जाए। यदि एक वर्ष के दौरान कोई लेन-देन नहीं होता है, तो भी शून्य रिटर्न जमा की जानी चाहिए।

प्रश्न .5 वार्षिक रिटर्न समय पर न भरने के क्या परिणाम होंगे?

उत्तर: समय पर वार्षिक रिटर्न जमा न करने वाली किसी एसोसिएशन को निम्नलिखित परिणामों का सामना करना पड़ सकता है:

- (1) रिटर्न देर से जमा करने पर जुर्माना।
- (2) पंजीकरण रद्द होना।
- (3) एफसीआरए, 2010 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अभियोजन।

बैंक और बैंकिंग से संबंधित मुद्दे

प्रश्न .1 क्या एफसीआरए 2010 के प्रयोजनार्थ कोई विनिर्दिष्ट बैंक है?

उत्तर: अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत "एफसीआरए खाता" केवल एसबीआई की नई दिल्ली मुख्य शाखा में खोला जा सकता है। किसी भी अनुसूचित बैंक में "एक और एफसीआरए खाता" और उपयोग खाता/खाता खोला जा सकता है। यह पीएफएमएस संयोजित बैंक होना चाहिए। पीएफएमएस के साथ संयोजित बैंकों की सूची https://fcraonline.nic.in/fc_bank_list.aspx पर उपलब्ध है।

प्रश्न.2 क्या किसी एसोसिएशन को पंजीकरण या पूर्व अनुमति के लिए आवेदन करने से पहले एक विशेष एफसी खाता खोलने की जरूरत है?

उत्तर.हाँ। जिस एफसी खाता के माध्यम से विदेशी अभिदाय प्राप्त और इसका उपयोग किया जाना है, का उल्लेख पंजीकरण या पूर्व अनुमति, जैसा भी मामला हो, प्राप्त करने वाले आवेदन में किया जाना है, एसोसिएशन को एसबीआई की नई दिल्ली मुख्य शाखा में इस तरह का एक विशेष "एफसीआरए खाता" खोलना होगा। एसोसिएशन को इस खाते नंबर का उल्लेख पंजीकरण या पूर्व अनुमति देने वाले पत्र में किया जाएगा।

प्रश्न.3 क्या बैंकों को एफसीआरए के तहत पंजीकरण या पूर्व अनुमति के लिए आवेदन करने वाली एसोसिएशन को आवक प्रेषण वाला एफसी खाता खोलने की अनुमति देनी चाहिए?

उत्तर.हाँ। हालांकि, जब तक एसोसिएशन को पंजीकरण या पूर्व अनुमति जैसा भी मामला हो, एसबीआई की नई दिल्ली मुख्य शाखा द्वारा उस खाते में किसी भी विदेशी आवक प्रेषण की अनुमति न दी जाए।

प्रश्न.4 क्या बैंकों को विदेशी अभिदाय जिसे लाभार्थी एसोसिएशन द्वारा गृह मंत्रालय से पंजीकरण/पूर्व अनुमति के अभाव में प्रेषक को लौटाए जाता है, से संबंधित लेन-देन की रिपोर्ट करनी चाहिए?

उत्तर. बैंक के लिए ऐसे विदेशी अभिदाय की रिपोर्ट करना जरूरी नहीं है जो प्राप्तकर्ता के खाते में जमा किए बिना दाता को लौटा दिया जाता है।

प्रश्न.5 एफसी खातों में न्यूनतम शेष राशि कितनी होनी चाहिए?

उत्तर. एफसीआरए, 2010 के तहत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

नाम, पता, उद्देश्य, एफसी खाता विवरण आदि में परिवर्तन।

प्रश्न.1 एफसीआरए के तहत पंजीकृत एसोसिएशन के नाम, लक्ष्यों और उद्देश्यों में परिवर्तन की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर. एसोसिएशन के नाम/पते में परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर सूचना फॉर्म **एफसी-6ए** में ऑनलाइन दी जानी है और स्थानीय/संबद्ध प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधन की स्व प्रमाणित प्रति अपलोड करनी होगी और इसी तरह, लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए फॉर्म एफसी-6बी ऑनलाइन उपलब्ध है।

प्रश्न.2 उपयोग बैंक खाते में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर. उपयोग खाते के परिवर्तन के लिए सूचना, ऐसे परिवर्तन के 15 दिन के भीतर फॉर्म **एफसी-6 डी** में ऑनलाइन देनी होगी, और परिवर्तन के संबंध में संबंधित बैंकों के प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे।

प्रश्न.3 क्या एसोसिएशन की कार्यकारी समिति/शासी परिषद के सदस्यों के परिवर्तन की सूचना सरकार को देनी होगी?

उत्तर. हाँ. यदि किसी समय, एसोसिएशन की कार्यकारी समिति/शासी परिषद के मूल सदस्यों में परिवर्तन होता है, तो इस तरह के परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर गृह मंत्रालय को फॉर्म **एफसी-6 ई** में ऑनलाइन सूचना देनी होगी।

पंजीकरण का नवीकरण

प्रश्न.1 क्या पंजीकरण के प्रमाण पत्र का नवीकरण किया जाना चाहिए?

उत्तर. हां, एफसीआरए, 2010 की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 12 के तहत पंजीकरण

का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, उसे प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने के छह महीने के भीतर इस तरह के प्रमाण पत्र का नवीकरण कराना होगा।

प्रश्न.2 पंजीकरण के नवीकरण की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर. जो एसोसिएशन अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण कराना चाहती हैं, वे अपने मौजूदा पंजीकरण प्रमाण पत्र की समाप्ति के 6 महीने के भीतर केवल फॉर्म एफसी-3सी में ऑनलाइन आवेदन करेंगे। फीस के सफल भुगतान के बाद ही, आवेदन पूर्ण माना जाएगा।

प्रश्न.3 एफसीआरए के तहत पंजीकृत एसोसिएशन को नवीकरण के लिए कब आवेदन करना चाहिए?

उत्तर. एफसीआरए, 2011 के नियम 12 (2) के संदर्भ में, एफसीआरए के तहत पंजीकृत एक एसोसिएशन को पंजीकरण प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से छह महीने पहले अपने पंजीकरण के नवीकरण के लिए फॉर्म एफसी-3सी में आवेदन करना चाहिए।

प्रश्न.4 आवेदक को पंजीकरण के नवीकरण के लिए क्या-क्या चाहिए?

उत्तर. पंजीकरण के नवीकरण के लिए दर्पण आईडी, मुख्य पदाधिकारी के हस्ताक्षर, एसोसिएशन की मुहर, एसोसिएशन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, एसोसिएशन का ज्ञापन/ट्रस्ट डीड, गृह मंत्रालय द्वारा एसोसिएशन को जारी एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।

प्रश्न.5 यदि एसोसिएशन पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं करेगी तो क्या होगा?

उत्तर. एफसीआरए, 2010 के तहत मौजूदा पंजीकरण, पंजीकरण प्रदान करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि पूरी होने की तारीख से बंद हो जाएगा और विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग नहीं हो पाएगा। **ऐसे में एसोसिएशन को पंजीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।**

प्रश्न.6 पंजीकरण का नवीकरण कराने से पहले कौन से सांविधिक अनुपालन करने होंगे?

उत्तर. व्यक्ति/एसोसिएशनों ने एसबीआई, मुख्य शाखा नई दिल्ली में पिछली सभी वार्षिक रिटर्न, दर्पण आईडी और निर्दिष्ट "एफसीआरए खाता" जमा कराने होंगे। 'शून्य' एफसी प्राप्ति के लिए वार्षिक रिटर्न जमा करवाना अनिवार्य है।

अपराध और जुर्माना और कुछ अपराधों को माफ करना।

प्रश्न. 1 एफसीआरए, 2010 के तहत अपराध और जुर्माने क्या हैं?

उत्तर. धारा 41 के तहत सरकार ने **5.06.2018** और **27.07.2018** की राजपत्र अधिसूचना जारी की है, जिसकी मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

तालिका

क्र.सं.	अपराध	जुर्माने की रकम
(1)	(2)	(3)
1.	अधिनियम की धारा 6 का उल्लंघन करते हुए किसी भी आतिथ्य को स्वीकार करने के लिए धारा 35 के तहत दंडनीय अपराध।	10,000 रुपये

2.	अधिनियम की धारा 7 या उसके तहत बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को किसी विदेशी अभिदाय को अंतरित करने के लिए धारा 37 के अंतर्गत दंडनीय अपराध	1,00,000 रुपये या ऐसे अंतरित विदेशी अभिदाय का 10%, जो भी अधिक हो।
3.	अधिनियम की धारा 8 के उल्लंघन करते हुए प्रशासनिक व्यय पर प्राप्त विदेशी अभिदाय का पचास प्रतिशत से ज्यादा व्यय करना धारा 37 के तहत दंडनीय अपराध है	1,00,000 रुपये या विदेशी अभिदाय का 5%, जो भी अधिक हो, अनुमत सीमा से परे किया गया व्यय
4.	अधिनियम की धारा 11 का उल्लंघन करते हुए विदेशी अभिदाय स्वीकार करने पर धारा 35 के तहत दंडनीय अपराध	1,00,000 रुपये या प्राप्त विदेशी अभिदाय का 10%, जो भी अधिक हो
5.	अधिनियम की धारा 17 के साथ पठित धारा 37 के तहत दंडनीय अपराध - (क) प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए अपने खाते में विदेशी अभिदाय प्राप्त करना;	1, 00,000रुपये या ऐसे खाते में प्राप्त विदेशी अभिदाय का 5%,जो भी अधिक हो;
	(ख) बैंकों और अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ऐसे प्रेषण निर्धारणया स्रोत और रीति की सूचना न देना।	1, 00,000रुपये या ऐसे खाते में प्राप्त या जमा विदेशी अभिदाय का 3%,जो भी अधिक हो;
	(ग) विदेशी अभिदाय प्राप्त करने या उपयोग करने के लिए खाते या खोले गए खाते में विदेशी अभिदाय के अलावा कोई और निधि प्राप्त करना और जमा करना।	1, 00,000रुपये या ऐसे जमा का 2%, जो भी अधिक हो;
6.	अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत ऐसे प्रत्येक विदेशी अभिदाय की रकम की प्राप्ति और उसके स्रोत और रीति के बारे में सूचना उपलब्ध न करवाना धारा 37 के तहत दंडनीय अपराध है	1, 00,000रुपये या सूचना प्रदान न करने की अवधि के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय का 5%,जो भी अधिक हो;
7.	अधिनियम की धारा 19 के तहत आवश्यक प्राप्त विदेशी अभिदाय इसके उपयोग के तरीके का लेखा और रिकॉर्ड न रखने के लिए धारा 37 के तहत दंडनीय अपराध	1, 00,000रुपये या लेखा न रखने की संबंधित अवधि के दौरान, विदेशी अभिदाय का 5%,जो भी अधिक हो;

“कॉलम (2) में संदर्भित अपराध या अपराधों के संबंध में तालिका के कॉलम (3) के तहत परिकलित जुर्माने की रकम संबंधित विदेशी अभिदाय के मूल्य से अधिक नहीं होगी।”

प्रश्न . 2 एफसीआरए, 2010 के तहत किसी अपराध प्रशमन के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर. एफसीआरए,2010 की धारा 41 के तहत किसी अपराध के प्रशमन के लिए एक सादे कागज पर सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को, “भुगतान और लेखा अधिकारी”, गृह मंत्रालय के नाम से डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के माध्यम से 3000/- रुपये (केवल तीन हजार रुपये) के शुल्क के साथ आवेदन करना होगा।

प्रश्न.3 यदि व्यक्ति लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ है तो क्या होगा?

उत्तर. किसी भी कारण से, जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, व्यक्ति के अभियोजन के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

प्रश्न.4 एफसीआरए का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति की जांच और अभियोजन के लिए कौन सी जांच एजेंसियां हैं?

उत्तर. केन्द्रीय जांच ब्यूरो या राज्य सरकारों की जांच एजेंसियां (अपराध शाखा), चाहे किसी भी राज्य में कार्रवाई का कारण हो, किसी व्यक्ति की एफसीआरए के उल्लंघन के लिए जांच करने और उस पर मुकदमा चलाने के लिए नामित एजेंसियां हैं।

पंजीकरण निलंबन, रद्द करने और अभ्यर्पण।

A.

प्रश्न . 1 क्या सरकार एफसीआरए के तहत किसी व्यक्ति प्रदत्त पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर सकती है?

उत्तर. हां। केंद्र सरकार एफसीआरए, 2010 की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार प्रमाण पत्र रद्द कर सकती है।

विशेष- कोई भी व्यक्ति जिसका प्रमाणपत्र इस धारा के तहत रद्द कर दिया गया है, वह ऐसे प्रमाणपत्र को रद्द करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

प्रश्न.2 क्या सरकार एफसीआरए के तहत व्यक्ति को दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित कर सकती है?

उत्तर. हां। केंद्र सरकार एफसीआरए, 2010 की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार प्रमाणपत्र को, एक सौ अस्सी दिन की अवधि और उसके बाद और एक सौ अस्सी दिन की अवधि के लिए निलंबित कर सकती है।

प्रश्न.3 एफसीआरए के तहत किसी व्यक्ति को प्रदत्त पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन के परिणाम क्या हैं?

उत्तर. कोई व्यक्ति जिसका एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर दिया गया है:-

- प्रमाण पत्र के निलंबन की अवधि के दौरान कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त नहीं करेगा; बशर्ते कि केंद्र सरकार विशेष रूप से मामले के आधार पर इसे मंजूरी दे।
- केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अपने पास रखे हुए अप्रयुक्त एफसी का उपयोग नहीं करेगा। इस मामले में भी, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, घोषित लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए, जिनके लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त हुआ था, का केवल पच्चीस प्रतिशत तक ही खर्च किया जा सकता है। शेष 75 प्रतिशत अप्रयुक्त विदेशी अभिदाय का उपयोग पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन के निरसन के बाद ही किया जाएगा।

B.

प्रश्न .1 कोई भी व्यक्ति प्रदान किए गए प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण कैसे कर सकता है?

उत्तर. कोई भी संगठन जो अपने कारणों से अपने एफसीआरए पंजीकरण को छोड़ना/समय से पूर्व बंद करना चाहता है, वह हमारे वेब पोर्टल पर आवेदनपत्र एफसी-7 अपलोड करके प्रमाणपत्र अभ्यर्पित कर सकता है।

प्रश्न.2 विदेशी अभिदाय और प्रमाण पत्र अभ्यर्पण/रद्द करने/बंद करने की स्थिति में बैंक खाते में पड़ी अप्रयुक्त राशि से सृजित परिसंपत्तियों की अंतिम स्थिति क्या होगी?

उत्तर. जिस व्यक्ति को विदेशी अभिदाय स्वीकार करने की अनुमति दी गई थी, अभ्यर्पण करने पर सभी भौतिक परिसंपत्तियों को रखने/रद्द करने की स्थिति में, ऐसे व्यक्ति के बैंक में अप्रयुक्त विदेशी अभिदाय का निपटान कानून के अनुसार किया जाएगा।

विदेशी आतिथ्य

प्रश्न.1 विदेशी आतिथ्य क्या है?

उत्तर. विदेशी आतिथ्य का अर्थ है, किसी विदेशी स्रोत द्वारा, पूरी तरह अनौपचारिक नहीं, नकद या किसी भी विदेशी देश या क्षेत्र के लिए यात्रा की लागत मुहैया कराना, वस्तु, मुफ्त विमान यात्रा, आवास, परिवहन या चिकित्सा उपचार प्रदान करना है।

प्रश्न.2 विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने से पहले गृह मंत्रालय से पूर्व अनुमतिकी आवश्यकता किसे है?

उत्तर. विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने से पहले गृह मंत्रालय से पूर्व अनुमति की आवश्यकता निम्नलिखित व्यक्तियों को है:-

1. विधानमंडल के सदस्य
2. राजनीतिक दलों के पदाधिकारी
3. न्यायाधीश
4. सरकारी कर्मचारी, लोकसेवक
5. किसी भी निगम या किसी अन्य निकाय के कर्मचारी जो सरकार के स्वामित्व के अधीन या नियंत्रित हैं

परंतु भारत के बाहर की यात्रा के दौरान अचानक बीमारी के कारण आपात चिकित्सा के लिए ऐसी कोई अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। परंतु ऐसा आतिथ्य प्राप्त करने पर आतिथ्य प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आतिथ्य प्राप्त करने की तारीख से एक महीने के भीतर आतिथ्य, उसके स्रोत और प्रकार के बारे में सरकार को सूचित करना होगा।

प्रश्न.3 जब प्रस्तावित विदेशी यात्रा व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमता से करता है और उसका संपूर्ण खर्च संबंधित व्यक्ति द्वारा उठाया जाता है, तो क्या ऐसे मामलों में गृह मंत्रालय की अनुमति जरूरी है?

उत्तर. नहीं।

प्रश्न.4 विदेशी आतिथ्य प्राप्त करने के लिए सरकार से अनुमति कैसे ली जा सकती है?

उत्तर. आवेदक को एफसी-2 में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

प्रश्न.5 विदेशी आतिथ्य की पूर्व अनुमति लेने के लिए एफसी-2 फॉर्म के साथ कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे?

उत्तर. निम्नलिखित दस्तावेजों को एफसी-2 फॉर्म के साथ अपलोड किया जाना है (जैसा कि

एफसीआरआर, 2011 के नियम 7 के तहत उल्लेख किया गया है) :-

- (i) आवेदक के हस्ताक्षर (जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में अधिकतम 50 केबी हो)
- (ii) मेजबान या मेजबान देश से एक निमंत्रण पत्र, जैसा भी मामला हो (पीडीएफ प्रारूप में अधिकतम 1 एमबी हो)
- (iii) सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा प्रायोजित यात्राओं के मामले में संबंधित मंत्रालय या विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति (पीडीएफ प्रारूप में अधिकतम 1 एमबी में हो) ।

प्रश्न.6 एफसी-2 फॉर्म भरने के लिए आवेदन कब भरा जाना चाहिए?

उत्तर. विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने की अनुमति देने के लिए आवेदन आमतौर पर आगामी यात्रा की प्रस्तावित तारीख से दो सप्ताह पहले ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए।

विदेशी यात्रा के दौरान अचानक बीमार होने के कारण आपात चिकित्सा सहायता प्राप्त करने पर विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के बारे में स्रोत, भारतीय रुपयों में अनुमानित मूल्य, उद्देश्य और तरीके का पूरा विवरण देते हुए, ऐसी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर केंद्रीय सरकार को सूचित किया जाना चाहिए।

परंतु आपात चिकित्सा सहायता का मूल्य यदि एक लाख रुपये तक या उसके बराबर है तो ऐसी सूचना की आवश्यकता नहीं है।